

आईएसएसएन : 2457-015X



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

अप्रैल-सितंबर 2020

वर्ष 32 ❖ अंक 02

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

संपादक मंडल

संरक्षक

साधना वर्मा

मुख्य महाप्रबंधक, राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

अध्यक्ष

श्रीमोहन यादव

मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

प्रबंध संपादक

काज़ी मुहम्मद ईसा

महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

कार्यकारी संपादक

आर. एस. सेंगर

उप महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

सदस्य-सचिव

राहुल राजेश

प्रबंधक
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

सदस्य

ब्रिज राज
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व
बैंक, क्षेत्रीय
कार्यालय, पटना

एस. सी. रथ
महाप्रबंधक एवं
संकाय, रिज़र्व
बैंक स्टाफ
महाविद्यालय,
चेन्नै

गौतम प्रकाश
सहायक महाप्रबंधक
एवं संकाय,
कृषि बैंकिंग
महाविद्यालय, पुणे

दिवाकर झा
सहायक महाप्रबंधक
एवं संकाय, स्टेट बैंक
ग्रामीण बैंकिंग
संस्थान, हैदराबाद

राजीव जमुआर
मुख्य प्रबंधक एवं
संकाय, यूनियन
बैंक स्टाफ
महाविद्यालय,
बेंगलुरु

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक

राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल
मुंबई-400051

कॉर्पोरेट ईमेल: rajbhashaco@rbi.org.in

फोन: 022-26572801

तकनीकी सहयोग

आशीष पूजन

प्रबंधक, डीईआईओ
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

कला सहयोग

अभय मोहिते

सहायक प्रबंधक,
डीईपीआर
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051 के लिए संपादित और प्रकाशित।
इंटरनेट : <https://www.rbi.org.in/hindi> पर भी उपलब्ध।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

अप्रैल-सितंबर 2020

वर्ष 32 ❖ अंक 02

संपादकीय

भाषण

- ❖ भारतीय अर्थव्यवस्था निर्णायक मोड़ पर :
वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से विवेचन – शक्तिकांत दास

आलेख

- ❖ भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में फिनटेक की भूमिका – ब्रिज राज
- ❖ कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव – संजय कुमार
- ❖ कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की आधुनिक क्रांति 'ब्लॉकचेन' – डॉ. घनश्याम शर्मा
- ❖ स्वावलंबन की सरल सीढ़ी : स्वयं सहायता समूह – विजया अय्यर
- ❖ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव – सुबह सिंह यादव
- ❖ भारतीय बैंकों में अनुपालन संस्कृति – कुलदीप सिंह भाटी

स्थायी स्तंभ

- ❖ रेग्युलेटर की नज़र से – ब्रिज राज
- ❖ घूमता आईना – के. सी. मालपानी
- ❖ पाठकों के पत्र

इस पत्रिका के लेखों में दिये गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

लेआउट और डिजाइन : राहुल राजेश



संपादकीय...

यह एक बहुत कठिन समय है। भारत समेत दुनिया के अधिकतर देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दुनिया-भर में कोविड-19 से संक्रमण के कुल 04 करोड़ से अधिक मामले हैं जिसमें 01 करोड़ से अधिक प्राण गंवाने वाले भी शामिल हैं। वहीं हम भारत की बात करें तो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 83 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और मरने वालों की तादाद बढ़कर 01 लाख से भी ज्यादा हो गई है।

कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण के मामले दुनिया के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित कोविड-19 महामारी का सफल एवं कारगर उपचार ढूँढने के लिए दुनिया-भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर एवं शोधकर्ता दिन-रात काम में जुटे हैं। भारत सहित कई देशों में वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही कोविड-19 से बचाव के लिए टीका बन जाएगा। तब तक भारत सरकार, राज्य सरकारों एवं अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी कोविड-19 विषयक मौजूदा दिशानिर्देशों का हमें अक्षरशः पालन करते रहना है। यानी **“जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं।”**

आशा और विश्वास मजबूत हो तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। इस सच्चाई को रिज़र्व बैंक के माननीय गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने अपने एक वक्तव्य में गांधी जी के शब्दों में उद्धृत किया है – **“जब क्षितिज पर अँधेरा घना हो गया हो और मनुष्य की बुद्धि पस्त हो गई हो, तब विश्वास का प्रकाश ही हमें आलोकित करता**

है और हमे रास्ता दिखाता है।” (संदर्भ – गवर्नर महोदय का वक्तव्य, 22 मई 2020)

जीवन एवं स्वास्थ्य के संदर्भ में कोरोना महामारी का यह एक संक्षिप्त विश्लेषण तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू आजीविका से जुड़ा है। आजीविका का संदर्भ मनुष्य के लिए हमेशा से एक आर्थिक संदर्भ रहा है। गौर से देखा जाए तो कोविड-19 ने इन दोनों संदर्भों में मानव जाति के समक्ष बेहद कठिन चुनौती पेश की है। इसके कारण पूरे विश्व में अनिश्चितता से भरी बिल्कुल नई प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। हम एक ‘न्यू नॉर्मल’ समय में पहुँच गए हैं।

कोविड-19 महामारी के गंभीर आर्थिक पहलू को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जिवा के इस कथन के हवाले से बखूबी समझा जा सकता है – **“विश्व के समक्ष इस संकट के गहरे प्रभाव और उसके असर को लेकर अभूतपूर्व अनिश्चितता पैदा हो गई है। यह महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन के बाद का सबसे बुरा आर्थिक संकट है।”** (साभार– दि इकोनॉमिस्ट, 2020)

पिछले 07 महीनों में इस विकट महामारी ने जिस प्रकार आर्थिक मोर्चे पर तबाही मचाई है उसकी भरपाई करने में लंबा वक्त लगेगा। कोई चीज बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन बिगाड़ने में तनिक भी समय नहीं लगता। लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप्प पड़ गई थीं। सभी प्रकार के कारोबार अचानक थम गए थे। इससे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर सबसे अधिक प्रभावित हुए।

इस दौरान असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों को न केवल अपनी रोजी-रोटी से हाथ धोना पड़ा बल्कि अपने घरों से दूर बड़े-बड़े शहरों में रहकर आजीविका कमाने वाले इन दिहाड़ी मजदूरों को विस्थापन की भीषण मार भी झेलनी पड़ी। लेकिन, सरकार द्वारा क्रमिक रूप से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद आर्थिक एवं कारोबारी गतिविधियों का एक बेहतर परिदृश्य उभरता नज़र आ रहा है।

पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने स्थिति की लगातार समीक्षा करके अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए जो फौरी कदम उठाए गए हैं उसके सकारात्मक परिणाम के संकेत भी प्राप्त होने लगे हैं। निश्चित रूप से सरकारी स्तर पर इस तरह के प्रयास हमारी अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करते हुए, उसको नए सिरे से सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। कोरोनाजनित कारणों से देश के पर्यटन, टूरर एवं ट्रेवल, होटल, हेल्थकेयर, रियल एस्टेट, शिक्षा, आईटी, मनोरंजन, मीडिया जैसे क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए थे जो अब धीरे-धीरे एक बार फिर अपनी पटरी पर आगे बढ़ने लगे हैं।

कोविड-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में आर्थिक रूप से संकट में फँसे हुए कारोबारियों, उधारकर्ताओं आदि को इस स्थिति से उबारने, विशेष रूप से कारोबारी गतिविधियों को महामारी के प्रभाव से उबारने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी *रेग्युलेटरी पैकेज* के अंतर्गत कृषि ऋण, खुदरा एवं फसली ऋणों सहित सभी प्रकार के मीयादी ऋणों की किस्तों में स्थगन की छूट देकर बड़ी राहत पहुँचाई गई, जिसने घरेलू आर्थिक क्षेत्र के लिए रामबाण का काम किया। इसी प्रकार कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर व्याज स्थगन को मंजूरी दी गई।

एक विश्वव्यापी आपदा के रूप में कोविड-19 से उपजे अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय में रिज़र्व बैंक ने स्थिति पर लगातार नज़र रखते हुए न केवल बैंकिंग व्यवसाय अपितु देश की आर्थिक प्रणाली

को स्थिर बनाए रखने के लिए कई प्रकार के नीतिगत फैसले किए जो अंततः जनहित के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हुए। इन महत्वपूर्ण निर्णयों को सुलभ संदर्भ के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचनाएं, प्रेस प्रकाशनियों का अवलोकन किया जा सकता है।

निःसंदेह 23 मार्च 2020 का दिन इतिहास का एक निर्णायक दिन बन गया जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जन और धन में से जन को पहले बचाने को प्राथमिकता देते हुए कोविड-19 का संक्रमण रोकने तथा उससे लोगों की जान बचाने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। लोगों की जान बचाने के लिए एकदम सही समय पर लगाए लॉकडाउन का नतीजा है कि भारत इस महामारी के विस्तार को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर पाने में सफल रहा है। एक प्रचलित कहावत भी है कि '*जान है तो जहान है*'। प्रकारांतर से यही बात संस्कृत में भी वर्णित है कि '*शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्*' अर्थात् यह शरीर ही सारे अच्छे कार्यों का साधन है।

हम गर्व के साथ इस कठिन समय में अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की रक्षा के लिए दिन-रात अपने कर्तव्य पर डटे उन सभी कोरोना योद्धाओं के साहस, सेवा और जज़्बे को सलाम करते हैं जिनकी बदौलत देश एक बहुत बड़े संकट का मुकाबला पूरी कामयाबी के साथ कर पाया।

सच कहा जाए तो कोविड-19 के प्रभाव से यह पत्रिका भी अछूती नहीं रही। *वर्क फ्रॉम होम* से लेखन तो संभव था परंतु प्रकाशन नहीं। इसलिए इस अंक के सभी लेखकों को उनके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही, यह आत्मनिवेदन भी कि यह अंक हम आपके हाथों में ठोस पत्रिका के रूप में नहीं सौंप पा रहे हैं। इस बार पत्रिका को हम आनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं। इस असुविधा के लिए हमें खेद है।

सदैव की भांति इस अंक में भी बहुत बेहतरीन लेख शामिल किए गए हैं। फिनटेक एक

उभरता हुआ नया प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष है जिससे वित्तीय क्षेत्र को बहुत अपेक्षाएं हैं। भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में फिनटेक की भूमिका विषयक अपने लेख में श्री ब्रिजराज ने बहुत खूबी से इस विषय को स्पष्ट किया है। कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव में श्री संजय कुमार ने इस महामारी के कारण खस्ताहाल कारोबार एवं उद्योग-धंधों के गिरते आत्मबल को रेखांकित करने का प्रयास किया है। डॉ. घनश्याम शर्मा ने कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की आधुनिक क्रांति ब्लॉकचेन : आवधारणा, विशेषताएं, अनुप्रयोग और सीमाएं विषयक लेख में ब्लॉकचेन की अवधारणा एवं उसके भावी विस्तार की एक पड़ताल की है।

विजया अय्यर का लेख स्वावलंबन की सरल सीढ़ी : स्वयं सहायता समूह वित्तीय समावेशन एवं आत्मनिर्भरता के बीच सह-संबंध का एक संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथ ही, इस अंक में आप सुबह सिंह यादव का आलेख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर विश्व व्यापार

संगठन का प्रभाव और कुलदीप सिंह भाटी का आलेख भारतीय बैंकों में अनुपालन संस्कृति भी पढ़ पाएंगे।

इसके अलावा, अपने स्थायी स्तंभ - रेग्युलेटर की नज़र से एवं घूमता आईना के अंतर्गत आपके लिए बैंकिंग एवं वित्तीय जगत की नवीनतम एवं ज्ञानवर्द्धक संचयन भी प्रस्तुत किया गया है। हम संपादक मंडल के सम्मानीय संपादकों, लेखकों सहित वर्तमान अंक से संबद्ध सभी सहयोगियों के प्रति उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं।

आशा है यह अंक आपको पसंद आएगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें।

आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं सहित ...

- काज़ी मु. ईसा
प्रबंध संपादक एवं महाप्रबंधक

भाषण

भारतीय अर्थव्यवस्था निर्णायक मोड़ पर : वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से विवेचन

- शक्तिकांत दास

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 11 जुलाई 2020 को आयोजित 7वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में दिया गया भाषण)

आप सभी को नमस्कार। प्रमुख वक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं भारतीय स्टेट बैंक का आभारी हूँ। यह एक नए प्रकार का नॉर्मल समय है। मैं ऐसे समय में यह वर्चुअल सम्मेलन आयोजित करने वाली आयोजन टीम के प्रयासों की सराहना करता हूँ। आज बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं कोविड-19 से पड़ने वाले प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव के विरुद्ध प्रतिरोधक उपाय करने के मोर्चे पर सबसे आगे खड़े हैं। वे रिज़र्व बैंक के मौद्रिक, विनियामक और अन्य नीतिगत उपायों के प्रसारण चैनल हैं। वे सरकार द्वारा घोषित वित्तीय आधार प्रदान करने वाले उपायों (फाइनेंसियल बैकस्टॉप मेज़र्स) को कार्यान्वित करने के माध्यम भी हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 100 वर्षों में, कोविड-19 महामारी स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि से सबसे विकराल संकट है जिसका उत्पादन, रोजगार और स्वास्थ्य पर अप्रत्याशित रूप से नकारात्मक असर पड़ा है। इसने मौजूदा विश्व व्यवस्था, वैश्विक मूल्य शृंखला, विश्व में श्रम और पूंजी की आवाजाही तथा यह बताने की जरूरत नहीं कि इसने विश्व जनसंख्या के एक बड़े हिस्से की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है।

कोविड-19 महामारी, हमारी आर्थिक और वित्तीय प्रणाली की मजबूती और पुनरुत्थानशीलता की अब तक की शायद सबसे बड़ी परीक्षा है। आज हम जिन असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं,

उनमें केंद्रीय बैंकों की भूमिका के संबंध में इतिहास हमें कुछ उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता (एलओएलआर) की भूमिका में प्रस्तुत करने के बारे में बेजहॉट के सिद्धांत¹ में सारांश रूप में निहित एक बहुत पुरानी बुद्धिमत्तापूर्ण बात से सीख लेते हुए हमारी वित्तीय प्रणाली की रक्षा और मौजूदा संकट में वास्तविक अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपाय किए हैं। हालांकि नीतिगत स्तर पर हमारे द्वारा किए गए उपायों की अंतिम सफलता का पता जहाँ कुछ समय बाद चलेगा, लेकिन अभी तक की स्थिति के अनुसार वे प्रभावी प्रतीत होते हैं। अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकाल लाने के इरादे और समर्पण को दोहराते हुए, मैं अपने नीतिगत उपायों के कुछ प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

I. मौद्रिक नीति उपाय

कोविड-19 के प्रकोप के पहले से ही, मौद्रिक नीति में उदार रुख चल रहा था और फरवरी 2019 में और महामारी की शुरुआत के बीच रेपो दर 135 आधार अंकों की संचयी कटौती के स्तर पर थी। मौद्रिक नीति के रुख में इस विशेष बदलाव का प्रमुख तार्किक कारण विकास की गति में जो मंदी थी उसकी दिशा को मोड़ना था, जबकि 2019-20 की दूसरी छमाही में खाद्य मुद्रास्फीति में अल्पकालिक उछाल बेमौसम बारिश के चलते आया था। इस नीतिगत रुख

के अनुरूप, जून 2019 से ही चलनिधि की स्थिति को भी पर्याप्त अधिशेष के रूप में रखा गया था। इन उपायों के विलंबित प्रभाव आर्थिक गतिविधियों में एक चक्रीय परिवर्तन की शुरुआत करने ही वाले थे कि कोविड-19 की विनाशकारी आपदा ने लोगों के जीवन और आजीविका- दोनों को ही खतरे में डाल दिया।

कोविड वक्र की स्थिति के बारे में अनिश्चितता को देखते हुए, उभरते हुए आर्थिक जोखिमों का पूर्वानुमान लगाना तथा नीतिगत उपायों की एक व्यापक रेंज का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर सक्रिय रूप से मौद्रिक नीति कार्रवाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण था ताकि नीतिगत कदमों का अभीष्ट परिणाम संभव हो सके। तेजी से बदलते समष्टि आर्थिक वातावरण और संवृद्धि के बिगड़ते हालात के मद्देनजर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की नियमित अंतरालों पर होने वाली बैठकों से इतर (ऑफ-साइकिल) बैठकों की आवश्यकता पड़ी - पहले मार्च में और फिर मई 2020 में। एमपीसी ने इन दोनों बैठकों में नीतिगत रेपो रेट में संचयी रूप से 115 आधार अंकों की कटौती करने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 2019 के बाद से कुल नीतिगत दर में 250 आधार अंकों की कमी आई है।

चलनिधि उपाय

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाजारों में विश्वास बहाल करने, चलनिधि दबाव को समाप्त करने, वित्तीय स्थितियों को सहज बनाने, ऋण बाजारों से नियंत्रण हटाने और उत्पादक प्रयोजनों के लिए जरूरतमंद लोगों तक वित्तीय संसाधनों का प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से पारंपरिक और गैर-पारंपरिक मौद्रिक नीति और चलनिधि उपाय किए हैं। इसका व्यापक उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए संवृद्धि को होने वाले जोखिमों को कम करना था। रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी 2020 से घोषित चलनिधि उपाय सकल रूप से लगभग 9.57 लाख करोड़ रुपए (2019-20 के नॉमिनल जीडीपी के लगभग 4.7 प्रतिशत के बराबर) हो गए हैं।

II. वित्तीय स्थिरता और विकासात्मक उपाय

रिज़र्व बैंक की विभिन्न नियामक और पर्यवेक्षी कदमों के कारण महामारी के प्रारंभ में देश की वित्तीय प्रणाली एक बहुत बेहतर स्थिति में थी। हमने ऋण अनुशासन को मजबूत करने और ऋण संकेंद्रण को कम करने के लिए कई उपायों को लागू करने के अलावा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया था। वर्ष 2015-16 और 2019-20 के बीच पाँच वर्षों के लिए, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कुल 3.08 लाख करोड़ रुपये लगाए थे। रिज़र्व बैंक और सरकार दोनों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप बैंकिंग प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों में गिरावट आई थी और पूंजी की स्थिति में सुधार हुआ था।

उपलब्ध आँकड़ों (जिनमें से कुछ अनंतिम हैं) के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2019 के 14.3 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2020 में 14.8 प्रतिशत था। पीएसबी के जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2019 के 12.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2020 में 13.0 प्रतिशत हो गया था। मार्च 2020 में एससीबी का सकल अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात और शुद्ध एनपीए अनुपात मार्च 2019 के क्रमशः 9.1 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत की तुलना में 8.3 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत था। प्रोविजन कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2019 के 60.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2020 में 65.4 प्रतिशत हो गया जो जोखिम अवशोषण क्षमता के संदर्भ में उच्च लचीलापन का संकेत देता है।

वर्ष के दौरान एससीबी की लाभप्रदता में भी सुधार हुआ था। 31 मार्च 2020 तक गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का सकल और शुद्ध एनपीए 31 मार्च 2019 की स्थिति 6.1 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत की तुलना में से 6.4 प्रतिशत और

3.2 प्रतिशत रहा। वर्ष 2019-20 के दौरान उनका सीआरएआर 20.1 प्रतिशत से मामूली घटकर 19.6 प्रतिशत रह गया।

पर्यवेक्षी और विनियामकीय पहल

रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसी प्रणालियों और संरचनाओं को लागू करना रहा है जो वित्तीय संस्थाओं की कमजोरियों की पहचान, आकलन और उनका सक्रिय रूप से प्रबंधन करे या इनमें कमी लाए।

वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकने वाली घटनाओं के आकलन के आधार पर पिछले एक वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण स्थापित करने के उद्देश्य से अपने विनियामक और पर्यवेक्षी कार्यों को पुनर्गठित किया है। एकीकृत दृष्टिकोण का उद्देश्य बैंकों और एनबीएफसी के बढ़ते आकार, जटिलताओं और उनकी अंतर-संबद्धता से जुड़े मुद्दों के समाधान पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य उन संभाव्य प्रणालीगत जोखिमों को भी प्रभावी ढंग से दूर करना है जो संभावित पर्यवेक्षी या विनियामक अंतरपणन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा, जोखिम वाली संस्थाओं और प्रथाओं पर बेहतर ध्यान देने के लिए; पर्यवेक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरणों और प्रौद्योगिकी की उचित रेंज का प्रयोग करने के लिए; और पर्यवेक्षित संस्थाओं में चिंता के चिह्नित क्षेत्रों पर क्षैतिज या विषयगत अध्ययन करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नपी-तुली पद्धति तैयार की गई है जो पर्यवेक्षण कार्य में आवश्यक प्रतिरूपता (मॉड्यूलरिटी) और स्केलेबिलिटी दे।

उभरते जोखिमों को पहचानने और समय पर कार्रवाई हेतु पर्यवेक्षित संस्थाओं की कमजोरियों का आकलन करने के लिए, नपी-तुली पर्यवेक्षी पद्धति की धुरी के रूप में रिज़र्व बैंक ने अपने ऑफ-साइट निगरानी तंत्र को मजबूत किया है। व्यक्तिगत और तकनीकी दोनों आसूचना की सहायता से हम पर्यवेक्षी बाजार आसूचना क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।

रिज़र्व बैंक द्वारा कमजोर संस्थाओं की विशेष देखभाल से ऐसी संस्थाओं की अब निर्बाध रूप से बारीकी से निगरानी और सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता मिलती है। यस बैंक का समय पर और सफल समाधान इसका उदाहरण है। सभी संभव विकल्प समाप्त होने के बाद और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जब बैंक की निवल मालियत पॉजिटिव थी, हमने उचित समय पर हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया था। यस बैंक पुनर्निर्माण योजना ने भारत की अग्रणी वित्तीय संस्थाओं के बीच एक अनूठी सार्वजनिक-निजी भागीदारी की मिसाल पेश की।

इसे बहुत ही कम समय में लागू किया गया था, जिससे बैंक के पुनरुद्धार में मदद मिली, बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की गई और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हुई। मैं भारतीय स्टेट बैंक को इस पहल का नेतृत्व करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के संबंध में, रिज़र्व बैंक सभी हितधारकों के साथ एक व्यावहारिक समाधान खोज रहा है क्योंकि घाटा बहुत अधिक है और इसमें 50 प्रतिशत से अधिक जमाराशि की हानि हुई है।

एनबीएफसी के मामले में, उभरते जोखिमों की पहचान तथा त्वरित कार्रवाई हेतु हितधारकों के साथ सक्रिय जुड़ाव उपयोगी रहा। उनके बढ़ते आकार और परस्पर जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के जोखिम प्रबंधन और चलनिधि प्रबंधन ढाँचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, 5,000 करोड़ रुपये से अधिक आकार वाली एनबीएफसी को कार्यात्मक रूप से एक स्वतंत्र मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त करने को कहा गया है जिनकी भूमिका और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हों। साथ ही, सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक के ऑन-साइट निरीक्षण ढाँचे और ऑफ-साइट निगरानी के तहत लाया गया है। 01 अगस्त,

2019 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के फलस्वरूप रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी को बेहतर ढंग से विनियमित करने और उनका पर्यवेक्षण करने की क्षमता मजबूत हुई है। इसके अलावा, कुछ बड़े एनबीएफसी और कुछ खास समस्याओं से ग्रसित एनबीएफसी पर लगातार नजर रखी जा रही है।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के मामले में उनके संचालन में कमजोरियों की पहचान जल्दी करने के लिए जोखिम आधारित तथा सक्रिय पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कमजोर बैंकों की समय पर पहचान तथा उसपर उचित कार्रवाई के लिए एक दबाव-परीक्षण ढांचा युक्त पूर्व चेतावनी प्रणाली बनाई गई है। यूसीबी को चलनिधि, पूंजी, आईटी और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने के लिए एक 'छत्र संगठन' के गठन को मंजूरी दी गई है।

क्रेडिट सकेन्द्रण को कम करने के लिए यूसीबी की एक्सपोजर सीमा को कम किया गया है तथा प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को काफी बढ़ाया गया है ताकि यूसीबी अपने मुख्य क्षेत्र अर्थात्, सूक्ष्म और छोटे उधारकर्ता पर केंद्रित रहें। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में हाल ही में किए गए संशोधनों से क्रमशः एनबीएफसी और यूसीबी की हमारी पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं में सहायता मिलेगी।

महामारी के विरुद्ध प्रतिरोधक उपाय

महामारी के विरुद्ध प्रतिरोधक कार्रवाई के रूप में, रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए हैं जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से विदित है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक इसपर भी ध्यान दे रहा था कि सभी विनियमित संस्थाओं द्वारा कोविड-19 संबंधी आकस्मिक कार्रवाई को तेजी से लागू किया जाए ताकि व्यवधानों को कम किया जा सके। तदनुसार, संकट की शुरुआत से ही, नीतिगत उपायों का उद्देश्य परिचालन संबंधी मुद्दों

और विशेष रूप से, वित्तीय बाजार के इन्फ्रास्ट्रक्चर की कारोबार निरंतरता और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना रहा। रिज़र्व बैंक ने अपने कार्यों के लिए एक विस्तृत कारोबार निरंतरता योजना लागू की और साथ ही यह सुनिश्चित किया कि बैंक भी अपनी कारोबार निरंतरता योजनाएं लागू करें। 16 मार्च, 2020 को हमने सभी बैंकों की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का जायजा लेने और अपनी कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) को फिर से समीक्षा करने को कहा। सभी संस्थाओं को यह भी सूचित किया गया कि वे अपनी बैलेंस शीट, आस्ति गुणवत्ता और चलनिधि पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करें, और अपने जोखिमों के प्रबंधन हेतु तत्काल आकस्मिक उपाय करें।

चूंकि लॉक-डाउन ने हमारी ऑन-साइट पर्यवेक्षी जांच को एक हद तक बाधित किया है, हम अपने ऑफ-साइट निगरानी तंत्र को और विस्तार दे रहे हैं। ऑफ साइट निगरानी प्रणाली का उद्देश्य यदि कोई संकट हो तो उस 'संकट को भाँपना', तथा सक्रिय रूप से कार्रवाई शुरू कर पाना है। इसके लिए संभावित कमजोरियों पर बाजार आसूचनाओं के उपयोग और वित्तीय संस्थाओं के साथ सतत संपर्क की आवश्यकता है। ऑफ-साइट मूल्यांकन फ्रेमवर्क, जो मैक्रो और माइक्रो वैरिएबल्स को ध्यान में रखता है, अधिक विश्लेषणात्मक एवं भविष्योन्मुखी है और इसका उद्देश्य कमजोर क्षेत्रों, उधारकर्ताओं और साथ ही पर्यवेक्षित संस्थाओं की पहचान करना है।

रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए बहुआयामी दृष्टिकोण ने जहाँ बैंकों को महामारी के तत्काल प्रभाव से दूर रखा है, फिर भी मध्यावधि परिदृश्य को लेकर एक अनिश्चितता है और वह कोविड-19 की दिशा पर निर्भर करता है। मध्यावधि नीतिगत कार्रवाई के लिए एक सजग आकलन की आवश्यकता होगी कि संकट कैसे फैल रहा है। बफर का निर्माण और पूंजी जुटाना केवल ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ही नहीं बल्कि वित्तीय प्रणाली में सृष्टिता निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। हमने अभी हाल ही में (19 जून और

01 जुलाई, 2020) सभी बैंकों, जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (5,000 करोड़ रुपये की आस्ति आकार वाली) और सभी जमा राशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपनी बैलेंस-शीट, आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि, लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करें। इस तरह के दबाव परीक्षण के परिणाम के आधार पर, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को यह कहा गया है कि वे हानि कम करने के संभावित उपाय तैयार करें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी योजना, पूंजी जुटाने और आकस्मिक चलनिधि योजना शामिल हो। उद्देश्य यह है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा जाए।

III. प्रमुख चुनौतियां

भविष्य की बात करें तो, वित्तीय प्रणाली में कुछेक बिंदुओं पर दबाव रहेगा जिनकी ओर विनियामकीय और नीतिगत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी ताकि जोखिम को कम किया जा सके। इस वैश्विक महामारी के आर्थिक कुप्रभाव – लॉकडाउन और लॉकडाउन के पश्चात आर्थिक संवृद्धि में अनुमानित गिरावट – के परिणाम स्वरूप अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) बढ़ सकती हैं और बैंकों की पूंजी का क्षरण संभव है। इसलिए, पीएसबी और निजी बैंकों (पीवीबी) के पुनः पूंजीकरण की योजना तैयार करना आवश्यक हो गया है।

हालांकि, समग्र एनबीएफसी क्षेत्र तो फिर भी मजबूत दिख सकता है, लेकिन एनबीएफसी और म्यूचुअल फंडों पर पड़ने वाले रिडेम्शन के दबाव पर करीब से नज़र रखने की आवश्यकता है। म्यूचुअल फंड एनबीएफसी द्वारा जारी किए जाने वाले बाजार लिखतों में सबसे बड़े निवेशक के तौर पर उभरे हैं और इसी वजह से एक प्रतिकूल फीडबैक लूप विकसित हो गया है जिससे जुड़े प्रणालीगत जोखिम से निपटने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।

बैंक उधार में एनबीएफसी की बढ़ती हिस्सेदारी और एनबीएफसी तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के सम्मुख बाजार आधारित उधार की उपलब्धता की निरंतर बनी हुई समस्या पर भी सावधानीपूर्वक नज़र रखने की आवश्यकता है।

वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है कि वित्तीय प्रणाली के समक्ष अनुगामी जोखिम (टेल रिस्क) शायद ही कभी उत्पन्न होंगे। जोखिम की घटनाओं की संभाव्यता का वितरण दर्शाता है कि टेल रिस्क को दर्शाने वाला हिस्सा जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। वित्तीय प्रणाली को लगने वाले झटके बढ़े हैं क्योंकि पूरे जीवन काल में एकाध बार होने वाली घटनाओं की आवृत्ति एक दशक के अंतराल पर घटित होने वाली घटनाओं से भी ज्यादा हो गयी है। तदनुसार, बैंकों की न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं, जिनका आकलन बीते वर्षों में हुई नुकसान की घटनाओं के आधार पर किया जाता है, अब वित्तीय नुकसान को सहन कर सकने में पर्याप्त नहीं मानी जा सकतीं।

न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है, लेकिन यह वित्तीय स्थिरता की गारंटी नहीं है। इसलिए, यह अत्यावश्यक हो गया है कि जोखिम की घटनाओं की बड़ी हुई बारंबारता, उनकी विविधता और उनके अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव को देखते हुए बैंकों में जोखिम प्रबंधन का दृष्टिकोण उसी के अनुरूप विकसित किया जाए। बैंकों को वह पुरानी कहावत याद रखनी होगी कि सावधानी और परिश्रम से ही भाग्य का निर्माण होता है। ऑस्कर वाइल्ड को उद्धृत करते हुए कह सकते हैं कि बिना किसी तैयारी के खतरा झेलना पड़े तो इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा, परंतु अगर हम अनजान बने रहकर एक से ज्यादा बार किसी जोखिम में पड़ते हैं तो इसे लापरवाही कहा जाएगा।²

पहले से ही उठाए गए कई कदमों के बावजूद, मध्यम से दीर्घावधि में उभरने वाले अनेक मुद्दों का समाधान तलाशने की दिशा में हमेशा सुधार

की गुंजाइश रहती है। ये मुद्दे एनबीएफसी और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि बैंकों के लिए। रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी दृष्टिकोण जोखिमों की पहचान करने, मापने और उन्हें कम करने के लिए वित्तीय संस्थानों की क्षमता विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। नया पर्यवेक्षी दृष्टिकोण दोहरे आयाम वाला होगा - पहला, पर्यवेक्षणाधीन संस्थाओं की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना; और दूसरा, आरंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने और तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना।

आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, अब अधिक जोर कमजोरियों के कारणों पर दिया जा रहा है न कि लक्षणों पर। कमजोर बैंकों के लक्षण आमतौर पर खराब आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता में कमी, पूंजी में क्षरण, अत्यधिक कर्जभार, अत्यधिक जोखिमपूर्ण ऋण, खराब आचरण और चलनिधि से जुड़ी चिंताएं हैं। ये विभिन्न लक्षण अक्सर एक साथ उभरते हैं। वित्तीय संस्थानों में आने वाली कमजोरी का कारण आमतौर पर निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक या अधिक हो सकती है: वर्तमान व्यापारिक वातावरण को देखते हुए अनुपयुक्त व्यापार मॉडल; लचर या अनुचित अभिशासन और विश्वास कायम करने से जुड़े कार्यों; वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा खराब निर्णय; और बाह्य हितधारकों के हितों के साथ आंतरिक प्रोत्साहन संरचनाओं का अनुचित तालमेल।³

हम कारोबारी मॉडल के मूल्यांकन, अभिशासन और विश्वास कायम करने से जुड़े कार्यों (अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों) के मूल्यांकन पर विशेष जोर दे रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं बढ़ी हैं। पर्यवेक्षण संस्थाएं आमतौर पर व्यावसायिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अभिशासन से जुड़े पहलुओं और विश्वास बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कार्यों की अनदेखी ही क्यों न करनी पड़े। उनके द्वारा तैयार की गयी

कारोबारी रणनीति और उनके वास्तविक व्यापार संचालन के बीच स्पष्ट रूप से कोई संबंध नहीं था। इसलिए इस दृष्टिकोण के अंतर्गत जोर इस बात पर डाला जा रहा है कि वित्तीय संस्थानों में जोखिम, अनुपालन और अभिशासन की संस्कृति में सुधार किया जाए।

इस संबंध में, रिज़र्व बैंक ने घरेलू वित्तीय प्रणाली की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मौजूदा विनियामक ढांचे का तालमेल बनाने के उद्देश्य से 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' विषय पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। इस चर्चा पत्र में अधिक बल प्रबंधन से स्वामित्व को अलग करने को प्रोत्साहित करने पर दिया गया है – स्वामी जहाँ मुख्य रूप से अपने निवेश पर होने वाले लाभ पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वहीं प्रबंधन को सभी हितधारकों के हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होता है।

बोर्ड को अपना दायित्व निभाते हुए, संगठन की संस्कृति और मूल्यों को निर्धारित करना चाहिए; हितों के टकराव की पहचान और उसका प्रबंधन करना चाहिए; जोखिम उठाने की सीमा तय करनी चाहिए और उस सीमा के भीतर ही जोखिमों का प्रबंधन करना चाहिए; वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र की निगरानी करनी चाहिए और विविध प्रकार के हस्तक्षेपों के माध्यम से इस निगरानी और विश्वास बहाली को मजबूत करते रहना चाहिए। रिज़र्व बैंक यथासमय सुशासन के इन सिद्धांतों को एनबीएफसी क्षेत्र तक भी ले जाएगा।

IV. भावी दिशा

हमारे दैनिक जीवन में महामारी के बड़े प्रभाव के बावजूद, सभी भुगतान प्रणाली व वित्तीय बाजारों सहित देश की वित्तीय प्रणाली, निर्बाध रूप से काम कर रही है। प्रतिबंधों में क्रमशः ढील देने के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के सामान्य स्थिति में वापस आने के संकेत दिखने लगे हैं।

हालांकि, यह अभी भी अनिश्चित है कि आपूर्ति श्रृंखला कब तक पूरी तरह बहाल हो पाएगी; मांग की स्थिति को सामान्य होने में कितना समय लगेगा; और हमारी संभावित संवृद्धि पर महामारी किस तरह के स्थायी प्रभाव छोड़ जाएगी। सरकार द्वारा पहले से घोषित लक्ष्योन्मुखी और व्यापक सुधार उपायों से देश की संभावित संवृद्धि में सहायता मिलनी चाहिए।

कोविड के बाद एक बेहद अलग प्रकार के वैश्विक वातावरण में, संभवतः अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों के पुनर्आवंटन और आर्थिक गतिविधियों के अभिनव विस्तार से कुछ पुनर्संतुलन और नए विकास कारकों का उद्भव हो। मौद्रिक, राजकोषीय, विनियामक और संरचनात्मक सुधार जैसे नीतिगत उपायों का नतीजा है कि अल्पावधि व्यवधानों को कम करते हुए आर्थिक गतिविधि को तेजी से बहाल करने के लिए उपयुक्त स्थितियां निर्मित हो रही हैं।

विश्वास की बहाली, वित्तीय स्थिरता का संरक्षण, संवृद्धि को पुनर्जीवन और मजबूत होकर उभरना समय की मांग है। केंद्रीय बैंक में हम वित्तीय स्थिरता के संरक्षण, बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ रखने तथा आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कोविड-19 पर काबू पाने के बाद प्रति-चक्रीय विनियामक उपायों को सुव्यवस्थित रूप से सावधानीपूर्वक हटाया जाना है और विनियामक छूट को एक नए प्रकार की सामान्य छूट मानते हुए उस पर निर्भर हुए बिना वित्तीय क्षेत्र

को अपने सामान्य कामकाज पर लौटना है। रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता जोखिमों के बदलते स्वरूप का निरंतर आकलन कर रहा है तथा वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए अपने पर्यवेक्षी ढांचे को अपग्रेड कर रहा है। बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों को हमेशा सतर्क रहना होगा तथा अभिशासन, आश्वासन कार्यों और जोखिम संस्कृति के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को काफी अपग्रेड करना होगा।

यह सच है कि यह महामारी एक विशाल चुनौती है; हालांकि, सामूहिक प्रयासों, बुद्धिमत्तापूर्ण चयन और नवाचार के रूप में मनुष्य के धैर्य से हमें वर्तमान संकट से बाहर आने में काफी सहायता मिलेगी। महात्मा गांधी ने कहा था, "... भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं"। मैंने इस अभूतपूर्व स्थिति का मुकाबला करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वर्तमान में लिए गए निर्णयों का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया है।

मुझे विश्वास है कि हमारे नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में ये उपाय सरकार के कदमों के पूरक होंगे। हजारों लोगों के अथक प्रयासों और अपने देश के आम आदमी के अदम्य साहस के साथ मैं आशा करता हूँ कि इन नीतिगत कार्रवाइयों के वांछित परिणाम सामने आएंगे। यह कठिन समय हमारी अर्थव्यवस्था की हर परिस्थिति में सुदृढ़ बने रहने की क्षमता पर दुनिया के विश्वास को मजबूत करेगा। हम साथ मिलकर इसे सिद्ध करेंगे।

धन्यवाद।

फुटनोट:

1. वाल्टर बागहॉट (1873), लॉम्बार्ड स्ट्रीट: ए डिस्क्रिप्शन ऑफ़ मनी मार्केट (न्यूयॉर्क: चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन्स)।
2. मूल उद्धरण ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखे गए 'इम्पॉर्टेंस ऑफ़ बीइंग अर्नेस्ट' नामक नाटक से है।
3. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (जुलाई 2015): कमजोर बैंकों की पहचान और उनके समाधान संबंधी दिशानिर्देश।

आलेख

भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में फिनटेक की भूमिका*

- ब्रिज राज

महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

'फिनटेक' शब्द, मूलतः दो शब्दों, 'फाइनेंसियल' और 'टेक्नोलॉजी' से मिलकर बना है। इसे व्यापक रूप से तकनीक द्वारा समर्थित वित्तीय नवोन्मेष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नए व्यापार मॉडल, एप्लिकेशन, प्रक्रियाएं या उत्पाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिनका संबंधित वित्तीय बाजारों, संस्थानों और वित्तीय सेवाओं के प्रावधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अतः फिनटेक भारत की वित्तीय सेवाओं तथा वित्तीय समावेशन परिदृश्य के मौलिक स्वरूप को नया आकार देने में समर्थ है।

अपने नवोन्मेषी उपायों, नए व्यवसाय मॉडल और ऐप्लिकेशन के माध्यम से फिनटेक फर्म प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं और लागत कम करते हुए तथा उपेक्षित, निम्न आयु समूह के व्यक्तियों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीण और अन्य उपेक्षित वर्ग तक वित्तीय सेवाओं को सुलभ बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। एक आकलन के अनुसार, भारत में लगभग 90% ऐसी सूक्ष्म इकाइयाँ हैं जो अभी भी औपचारिक ऋण प्रणाली से अछूती हैं। लघु उद्योग के साथ-साथ यह वर्ग भी बैंक और फिनटेक सेवा-प्रदाताओं के सहयोग से बहुत लाभ उठा सकता है, जबकि उनके अन्य भुगतान रिकॉर्ड उनकी ऋण पात्रता के मूल्यांकन हेतु आधार बन सकते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि कई फिनटेक कंपनियों (प्लेयर्स) ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है तथा इस दशक के आरंभ में हमने जिस क्षेत्र के बारे में

कुछ भी नहीं सुना था, आज उस क्षेत्र में भारत में 1218 संस्थाएं कार्य कर रही हैं।

वर्तमान समय में, प्रौद्योगिकी में विकास को दृष्टिगत रखते हुए, भारतीय समाज के उपेक्षित वर्ग को मुख्यधारा में शामिल करना सशक्त व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी उचित है। कंस्लटेटिव ग्रुप टू असिस्ट द पुअर (सीजीएपी) के अनुसार, फिनटेक वित्तीय सेवाओं के वैल्यू चेन के प्रत्येक चरण में कुछ नवीन कार्य कर रहे हैं तथा 'फ्लेक्सिबल' उत्पाद और कम आय के ग्राहकों द्वारा सामना जा रही वित्तीय चुनौतियों को दूर करने के लिए बेहतर उपायों के साथ-साथ नए मूल्य सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन को सरकारी तथा विनियामकीय प्रोत्साहन की अगुआई में पिछले दो वर्षों के दौरान फिनटेक अपनाते की दर में तेजी से वृद्धि हुई है।

सारणी I : फिनटेक अपनाए जाने में शीर्ष देश

क्र.	अपनाए जाने का प्रतिशत	देश
1.	87%	भारत, चीन
2.	82%	रूस, दक्षिण अफ्रीका
3.	76%	कोलंबिया
4.	75%	पेरू
5.	73%	नीदरलैंड्स
अपनाए जाने का औसत : 64%		

स्रोत : ईवाई ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन सूचकांक 2019

**सारणी II : भारत में फिनटेक सेवाओं के प्रति
ग्राहक जागरूकता**

क्र.	भारत में जागरूकता का प्रतिशत	उद्देश्य
1.	96%	राशि अंतरण एवं भुगतान
2.	86%	बीमा
3.	78%	बचत एवं निवेश
4.	76%	उधार
5.	71%	बजट कार्य एवं वित्तीय योजना

स्रोत : ईवाई ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन सूचकांक 2019

**भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में
फिनटेक की भूमिका**

भारतीय परिप्रेक्ष्य में वित्तीय समावेशन, वित्तीय क्षेत्र की पैठ तथा विकास की राह में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने में फिनटेक का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है।

डिजिटल वित्तीय सेवाएँ वित्तीय समावेशन की भौगोलिक बाधाओं को दूर करने का एक विश्वस्त माध्यम बन रही हैं। हालांकि भारत की फिनटेक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव एमएसएमई ऋण परिदृश्य पर पड़ा है। नवोन्मेषी वैकल्पिक ऋण प्लेटफॉर्म के उत्थान के साथ, बिना किसी वित्तीय रिकॉर्ड या क्रेडिट विवरण के भी छोटे उद्योग भी अंततः ऋण प्राप्त करने में समर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के पास वर्तमान में 9.2 मिलियन से अधिक एमएसएमई का पंजीकृत आधार है, जो नियमित रूप से हर महीने मासिक विवरणी दर्ज करते हैं।

**वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति
(एनएसएफआई)**

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, वित्तीय समावेशन 'सामान्य रूप से समाज के हर वर्ग के लिए तथा विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह जैसे उपेक्षित समूहों के लिए विनियमित,

मुख्यधारा के संस्थागत निकायों द्वारा उचित एवं पारदर्शी रूप से कम लागत में आवश्यक उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया है'। औपचारिक वित्त तक सुलभ पहुँच, रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकती है, आर्थिक आघात के खतरे को कम कर सकती है और श्रम शक्ति में निवेश बढ़ा सकती है। वृहत स्तर पर, वित्तीय समावेशन का बढ़ता दायरा सभी के लिए संवहनीय और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकता है। उक्त उद्देश्यों को समन्वित और समयबद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति 2019-24 तैयार की गई है। यह रणनीति सभी नागरिकों को सुरक्षित तथा पारदर्शी विधि से औपचारिक वित्तीय सेवाओं की सुगम, सुलभ तथा सस्ती उपलब्धता की परिकल्पना करती है ताकि समावेशी तथा दावेदार-बहुल समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।

वित्तीय समावेशन की अगली लहर

डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग, वैकल्पिक डेटा स्रोतों के साथ मिलकर व्यक्तियों को डिजिटल और वित्तीय पहचान बनाने में समर्थ बना रहे हैं जो उन्हें कई वित्तीय सेवाओं के लिए ऋण पात्रता और योग्यता उपलब्ध करा रहे हैं, जो अभी तक उनके लिए दुर्गम थे और जिसके परिणाम स्वरूप समावेश की अगली लहर आगे बढ़ रही है। ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक्स, समावेशन की अगली लहर का समर्थन कर रहे हैं और बैंकिंग सेवाओं से असंबद्ध आबादी के बीच एक मार्ग बना रहे हैं।

भारत की बायोमेट्रिक लिंकड पहचान, आधार को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने से केवाईसी प्रक्रियाएँ काफी हद तक सुव्यवस्थित हुई हैं, जिसने बैंक खाते खोलने और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में सहायता की है। आधार-समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जमा, निकासी और राशि का अंतरण कर रहे हैं।

ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने में समर्थ बनाना

ऋण तक उचित पहुँच के साथ, उपभोक्ता और अन्य व्यवसायी, सशक्त और समावेशी विकास को एक दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। एमएसएमई वित्तपोषण और उपभोक्ता ऋण के बीच विशाल अंतर को ध्यान में रखते हुए, बैंक और वित्तीय संस्थान फिनटेक के साथ साझेदारी कर रहे हैं। वे इन वर्गों को ऋण प्रदान करने के लिए अपनी ऋण निर्णय-क्षमता की रूपरेखा का लाभ उठा सकते हैं।

इंटरनेट और मोबाइल के विस्तार में बढोत्तरी के आधार पर ई-कॉमर्स और स्मार्टफोन-आधारित सेवाओं ने भारत में व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों पर भारी मात्रा में आकड़ों का सृजन किया है। जैसे-जैसे अधिक से अधिक डेटा अंकीकृत होता जा रहा है, व्यक्तियों और एमएसएमई की ऋण-पात्रता का मूल्यांकन करने में शामिल लागत, समय और प्रयास में भी कमी आ रही है।

भारत में फिनटेक और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्य विनियामक पहल

i. डिजिटल भुगतान के विस्तार पर उच्चस्तरीय समिति का गठन

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में वित्तीय समावेशन के कारकों को बढ़ावा देने और विस्तृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भुगतान के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन में भुगतान के डिजिटलीकरण और डिजिटल भुगतान के स्तर की वर्तमान स्थिति की समीक्षा, अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रणालियों की पहचान, डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को सशक्त बनाने हेतु उपायों की संस्तुति, डिजिटल वित्तीय सेवाओं में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने और डिजिटल

भुगतान के विस्तार के लिए एक मध्यम अवधि की रणनीति का सुझाव देने के लिए, जनवरी 2019 में श्री नंदन नीलेकणि, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान के विस्तार पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।

चूंकि डिजिटल भुगतान आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, समिति ने उपयोगकर्ता पर ध्यान केंद्रित करने, स्वीकृति में तेजी लाने, सिस्टम को तैयार करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और उच्च आवृत्ति के उपयोग के मामलों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से डिजिटल रूप से जुड़े हुए समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

ii. रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स

भारतीय रिज़र्व बैंक निरंतर अपने विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को भी श्रेणीबद्ध कर रहा है ताकि उपेक्षित आवादी तक वित्तीय पहुँच को व्यापक एवं सुगम बनाने के लिए फिनटेक के उद्भव का लाभ उठाया जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर 2019 को रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत 'खुदरा भुगतान' थीम के साथ पहला 'कोहार्ट' खोले जाने की भी घोषणा की। थीम के रूप में 'खुदरा भुगतान' अपनाए जाने से यह अपेक्षा की जा रही है कि डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में नवोन्मेष प्रोत्साहित होगा और यह समाज के उपेक्षित वर्ग तक भुगतान सेवाएं पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा।

iii. रिज़र्व बैंक नवाचार हब का निर्माण

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा जिम्मेदार नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास किया है। प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुए वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा

देने और एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जो नवाचार को सुविधाजनक और बढ़ावा देगा, रिज़र्व बैंक भारत में एक नवाचार हब स्थापित करेगा।

नवाचार हब नई क्षमताओं के विचार और ऊष्मायन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो नवोन्मेषी और व्यवहार्य वित्तीय उत्पादों को निर्मित करने और/ या गहन वित्तीय समावेशन के व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए, कुशल बैंकिंग सेवाओं, आपातकाल में व्यापार निरंतरता और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने आदि के लिए लगाया जा सकता है।

iv. अन्य पहल

वित्तीय सेवाओं में उपयोग के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी में हो रहे विकास, चाहे वह भुगतान या ऋण या अन्य वित्तीय सेवाएं हों, सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्मित डिजिटल आधारभूत संरचना पर ही आधारित हैं। सभी के लिए कम लागत वाली वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आपूर्ति के संबंध में भी कई कदम उठाए गए हैं। आज लाखों भारतीयों के लिए एक बैंक खाता, बायोमेट्रिक आँकड़े से लिंक किया गया आधार आइडी और मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के रूप में एक खुले, अंतः प्रचालनीय भुगतान प्रणाली में सिर्फ एक स्मार्टफोन और एक बैंक खाते के माध्यम से ऋण का लाभ उठाए जाने की सुविधा ने हमारे भुगतान प्रणाली में क्रांति ला दी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीयर-टू-पीयर (पी2पी) ऋण देने वाले प्लेटफार्मों को संचालित करने के लिए कुछ संस्थाओं को लाइसेंस दिया है जो व्यक्तियों, सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के लिए वित्त की सुलभता में सुधार करने की क्षमता रखते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) एक नवीन वित्तपोषण व्यवस्था, जहां बिलों और चालानों को छूट देने के लिए प्रौद्योगिकी का

लाभ उठाया जाता है, की स्थापना की है। ट्रेड्स ऐसे एमएसएमई को सहायता प्रदान करता है, जिनके पास विलंबित भुगतान के कारण कार्यशील पूंजी और नकदी प्रवाह की समस्याएं हैं। वर्तमान में तीन इकाइयां भारत में ट्रेड्स एक्सचेंज का संचालन कर रही हैं और इनके कार्य की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ रही है।

अवसर, जोखिम और भविष्य

अवसर

i. डिजिटल ऑनबोर्डिंग और वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अभी तक लगभग 100 मिलियन केवाईसी रिकॉर्ड इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिए गए हैं।

ii. उपयुक्त वित्तीय उत्पाद डिजाइन करना

भारतीय परिपेक्ष्य में, फिनटेक के माध्यम से वित्तीय प्लेटफॉर्म की पहुँच में सुधार लाना ही कुंजी है। अतः वित्तीय रूप से उपेक्षित लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त वित्तीय उत्पादों को डिजाइन करना वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

iii. लिंग-भेद समाप्त करना

वित्तीय समावेशन तथा महिला सशक्तीकरण का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव दूरगामी हो सकता है। वित्तीय सेवाओं के उपयोग के बारे में विश्व बैंक ग्लोबल फाइन्डेक्स 2017 की रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुषों के पास बैंक खाते होते हैं। साथ ही, आंकड़ों में लिंग भेद महिलाओं के लिए कई असुविधाएं भी उत्पन्न कर सकता है। अतः डिजिटल भुगतान के विस्तार पर उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के अनुसार, लिंग-भेद संबंधी आँकड़े संग्रहित किए जाएं ताकि इन्हें मापा जा सके और अंततः दूर किया जा सके।

इस संबंध में, फिनटेक द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से वित्तीय उत्पाद और सेवाएं डिजाइन कर उन्हें मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के माध्यम से उन तक पहुंचा कर और ऐसे उत्पादों और सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है।

iv. व्यापारियों को डिजिटल दायरे में लाना

भारत में अधिकांश व्यापारी अभी भी डिजिटल दायरे में नहीं हैं। सात करोड़ व्यापारियों और व्यवसायियों में से, केवल एक छोटे से अनुपात ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करना शुरू किया है। अतः मोबाइल भुगतान, स्मार्ट प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस), टर्मिनल और क्लिक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड के माध्यम से व्यापारियों की स्वीकृति में वृद्धि का यह बहुत अच्छा अवसर है।

जोखिम

v. रेगटेक और सुपटेक

फिनटेक अपनाए जाने के कारण उत्पन्न संभावित जोखिम और उन्हें कम किए जाने के संबंध में रेगटेक और सुपटेक जैसे नए डोमेन स्वचालन, नई क्षमताओं के उपयोग और कार्य प्रवाह को व्यवस्थित कर कुशलता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। रेगटेक एक ऐसा एप्लिकेशन या प्लेटफॉर्म है जो स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से विनियामक अनुपालन को अधिक प्रभावी बनाता है और अनुपालन की लागत को कम करता है। रेगटेक उन तकनीकों पर केंद्रित है, जो विनियामक आवश्यकताओं को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रदान करते हैं।

सुपटेक प्रौद्योगिकी का उपयोग विनियामकों और पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण का समर्थन करने के लिए किया जाता है। सुपटेक का उद्देश्य आंकड़ों का संग्रहण/रिपोर्टिंग, आंकड़ों का विश्लेषण और निर्णय लेना, सुव्यवस्थित लाइसेंसिंग, बाजार की निगरानी और निरीक्षण आदि है। इनका उपयोग केवाईसी/

एएमएल/ सीएफटी, साइबर सुरक्षा आँकड़े या साक्ष्य आधारित नीति बनाने में भी किया जा रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में, आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण के लिए सुपटेक का उपयोग किया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण हैं- इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम (आइडीपीएमएस), एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (ईडीपीएमएस) और सेंट्रल क्रेडिट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआइएलसी)। साथ ही, बैंकों का जोखिम आधारित पर्यवेक्षण बड़े पैमाने पर आंकड़ों पर आधारित है और यह सुपटेक का एक उदाहरण है। तथापि, रेगटेक और सुपटेक तकनीक का भविष्य बड़े आंकड़ों के विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) मैपिंग, डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बायोमेट्रिक्स, आदि में निहित है।

भविष्य

vi. बैंकों और फिनटेक के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता

फिनटेक के साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों की रणनीतिक और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर सहयोग करने की क्षमता आने वाले वर्षों में एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी लाभ बन सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को फिनटेक फर्मों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है क्योंकि ये वित्तीय समावेशन के एजेंडा को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

vii. व्यक्तिगत आंकड़ों की सुरक्षा

फिनटेक कंपनियां अपने ग्राहकों से संबंधित काफी आँकड़े एकत्र करती हैं जिसका उपयोग मार्केटिंग और उनकी ऋण पात्रता के विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसलिए, भारत में व्यक्तिगत आँकड़े और डिजिटल गोपनीयता की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, 11 दिसंबर 2019 को

भारतीय संसद में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया था और इसे विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श हेतु संसद की संयुक्त समिति को अग्रपिहित किया गया था। इस कानून के सफल अधिनियमन से भारत में गोपनीयता के संबंध में एक नई शुरुआत होगी, फिनटेक कंपनियों की कार्यप्रणाली को गति मिलेगी और भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

viii. छोटे वित्त बैंकों की 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग

वर्तमान लघु वित्त बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा के उपरांत और उनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 05 दिसंबर 2019 को निजी क्षेत्र में लघुवित्त बैंकों की 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की।

चूंकि लघु वित्त बैंकों के पास शुरू से ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की सुविधा होगी और यह मुख्य रूप से बैंकिंग सुविधाओं से असंबद्ध व्यक्तियों के लिए मूल बैंकिंग गतिविधियां और ऋण देने का काम करेगा, और इस प्रकार के अधिक बैंकों की स्थापना से देश में फिनटेक इकोसिस्टम और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

ix. ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी भारत पर अधिक केन्द्रीकृत होने की आवश्यकता

भारत फिनटेक रिपोर्ट 2019 के अनुसार, फिनटेक, बैंक की सुविधाओं से नहीं जुड़े हुए समुदाय, जो कि अधिकांश ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी हैं, के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का भी प्रयास करें। जबकि शहरी भारत और कुछ हद तक अर्द्ध-शहरी भारत पर फिनटेक का बहुत प्रभाव पड़ा है, उन्हें ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी भारत की आवश्यकताओं पर प्रमुख रूप से केंद्रित होना चाहिए। वस्तुतः फिनटेक, भारत के उन ग्रामीण परिवारों को भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली का एक हिस्सा बनने में सहायता कर

सकते हैं, जो अभी भी अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली पर निर्भर हैं।

x. वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता आवश्यक है

डिजिटल भुगतान के माध्यम से व्यवस्थित वित्तीय प्रणालियों तक पहुंच बढ़ाने के भारत के प्रयासों ने एक आकार लेना शुरू कर दिया है और जनता के बीच वित्तीय और डिजिटल ज्ञान में वृद्धि के माध्यम से इसे बढ़ावा मिल सकता है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन खरीदारी आदि के माध्यम से तेजी से फैल रही डिजिटल संस्कृति के साथ, डिजिटल साक्षरता अभियानों को बढ़ावा देने का यह बिलकुल सही समय है।

निष्कर्ष

एक देश के रूप में, भारत फिनटेक के माध्यम से वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करने के विशाल अवसर को भुनाने को आतुर है। भारत की 1.3 बिलियन की आबादी में से, केवल 300 मिलियन से कम लोगों ने कुछ समय पर ऋण लिया है, अतः शेष 300 मिलियन की आबादी स्पष्ट रूप से एक अवसर के समान है। भारत डेटा के क्षेत्र में संपन्न होता जा रहा है और हमारे करोड़ों लोगों के आँकड़े भुगतान और टेलीकॉम पर किसी न किसी रूप में उपलब्ध हैं।

कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के लिए सरकार द्वारा तथा विनियामक दबाव के परिणाम स्वरूप भारत में डिजिटल भुगतान में तेजी आई है। फिनटेक के लिए, अन्य क्षेत्रों, जैसे ऋण प्रदान करने, बीमा, धन प्रबंधन आदि के लिए भुगतान एक मार्ग हो सकता है क्योंकि डिजिटल भुगतान उन्हें एक विवरण दे सकता है जिसका अन्य क्षेत्रों में लाभ उठाया जा सकता है।

जोखिम को कम करके अधिक-से-अधिक लाभ कमाना फिनटेक की सफलता का मूल-मंत्र है। अतः, हमें इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि फिनटेक भारत में

वित्तीय समावेशन में अपेक्षित तेजी लाने में सहायक हो, एक उपयुक्त विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा तैयार करना होगा।

वित्तीय सेवाओं तक पहुंच होना गरीबी और असमानता, दोनों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और मोबाइल फोन स्वामित्व तथा इंटरनेट एक्सेस, सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन को

प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग के अभूतपूर्व अवसर की ओर संकेत करते हैं।

एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो वहन करने योग्य लागत में सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह हमारे लिए एक निर्णायक समय है और हमें इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए।

[*यह आलेख नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा 28-29 फरवरी, 2020 को अर्थशास्त्र और वित्त पर आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (3rd International Conference on Economics and Finance) में श्री ब्रिज राज द्वारा प्रस्तुत पेपर का संक्षिप्त रूप है।]

कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- संजय कुमार

प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू

दुनिया की जीवित आबादी ने अपने जीवन-काल में इतनी भयावह महामारी पहले कभी नहीं देखी होगी, जो उसे कोविड-19 के रूप में देखने को मिली। चीन के वुहान शहर से निकली यह बीमारी इतनी जल्दी संपूर्ण विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लेगी, इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा होगा। वैसे तो पूर्व में प्लेग, स्पेनिश फ्लू, इबोला जैसी कई महामारियाँ आईं और मौतें भी काफी हुईं, पर किसी महामारी के कारण दुनिया का चक्का जाम हो गया हो, ऐसा पहली बार देखने को मिला। वैश्वीकरण का यह एक नकारात्मक पहलू ही है कि अब किसी एक देश की बीमारी उस देश-विशेष तक सीमित न रहकर पूरे विश्व के लिए महामारी बन जाती है। आज जिस देश का वैश्विक समुदाय से जितना अधिक जुड़ाव है, वह कोरोना से उतना अधिक प्रभावित हो रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कोरोना वायरस ने दुनिया को एकाएक बदलकर रख दिया है। इस महामारी ने मनुष्य को यह आईना भी दिखा दिया है कि उसके द्वारा अभी तक की गई प्रगति नाकाफ़ी है।

कोरोना ने सिर्फ मानव के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं किया है। उसके कार्य-व्यापार का हरेक क्षेत्र इससे संक्रमित हुआ है। आज अर्थव्यवस्था, बाजार, रोजगार, व्यापार, शिक्षा, खान-पान, रहन-सहन, पूजा-अर्चना, मनोरंजन, पर्यटन, हॉस्पिटलिटी, विनिर्माण से लेकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिस पर इस महामारी की मार न पड़ी हो। चूँकि वर्तमान युग एक आर्थिक युग है और जीवन का हरेक क्षेत्र अर्थ से अनुप्राणित है, अतएव, कोरोना के कारण किसी भी क्षेत्र पर पड़ने वाली चोट अंततः अर्थव्यवस्था पर ही

आती है। अर्थव्यवस्था पर कोरोना के प्रभाव का आकलन करने के पूर्व संक्षेप में अर्थव्यवस्था को समझ लेना प्रासंगिक होगा।

अर्थव्यवस्था और उसके घटक

अर्थव्यवस्था 'अर्थ' और 'व्यवस्था' से मिलकर बना शब्द है, जिसका तात्पर्य उन सभी प्रणालियों एवं कार्य-संव्यवहारों से है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अर्थ-सृजन में सहायक होते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का मापन उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से किया जाता है। अर्थात् जिस देश की जितनी अधिक जीडीपी होगी, उसकी अर्थव्यवस्था का आकार उतना बड़ा होगा। जीडीपी वस्तुतः एक विशिष्ट अवधि में एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। इसमें किसी विशिष्ट अवधि में निजी और सार्वजनिक खपत, सरकारी खर्च, निजी निवेश और निर्यात को जोड़ने के बाद आयात घटा दिया जाता है। जीडीपी किसी देश की आर्थिक सेहत की निशानी होती है और इसमें वृद्धि की रफ्तार अर्थव्यवस्था की जीवंतता को परिलक्षित करती है।

यदि हम अर्थव्यवस्था के घटकों की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रमुखतः तीन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है- प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे गतिविधियाँ आती हैं जिनमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादन किया जाता है, जैसे- कृषि, पशुपालन, बागवानी आदि। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत वे आर्थिक क्रियाएँ आती हैं जहाँ प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है, जैसे -

मैनुफैक्चरिंग गतिविधियाँ। तृतीयक क्षेत्र में सभी प्रकार की सेवाएं आती हैं। अर्थव्यवस्था के सतत और संतुलित विकास में उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता रहती है।

कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी के प्रभाव का विश्लेषण हम अर्थव्यवस्था के उपरोक्त क्षेत्रों के अनुसार करेंगे:

प्राथमिक क्षेत्र पर प्रभाव

प्राथमिक क्षेत्र की सबसे बड़ी गतिविधि कृषि है। कोरोना संकट के कारण भारत में 24 मार्च 2020 से 03 मई 2020 तक पूर्ण लॉकडाउन रहा। इस दौरान हाट, बाजार, खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र आदि बंद रहने और परिवहन-साधनों की आवाजाही बाधित रहने के कारण किसान स्थानीय स्तर पर फल, सब्जियाँ और उपज बेचने को मजबूर हुए, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा।

समारोहों के आयोजन पर प्रतिबंध और मंदिर बंद रहने के कारण फूलों की खेती करने वालों को भी नुकसान हुआ। यही हाल दूध और पॉल्ड्री उत्पादों का भी रहा। लॉकडाउन के शुरूआती चरणों में होटल, रेस्त्राँ, लस्सी हाउस, आइसक्रीम प्वाइंट, बिरियानी हाउस, मिष्ठान भण्डार, टी-स्टॉल, ढाबे, स्ट्रीट फूड शॉप्स आदि बंद रहने और शादी समारोहों में भीड़ पर प्रतिबंध के कारण इन उत्पादों की मांग में अप्रत्याशित कमी आई, जिससे इनके दाम काफी नीचे आ गए। इस बीच ऐसे मामले भी देखने को मिले जहाँ उचित कीमत न मिलने से किसानों ने दूध सड़कों पर बहा दिया और सब्जियाँ खेत से या तो तोड़ी ही नहीं अथवा विरोधस्वरूप सड़कों पर बिखरा दीं।

कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें मिलीं, जहाँ मुर्गीपालकों ने चिकेन का उचित भाव न मिलने और मुर्गीदाना महंगा होने के कारण मुर्गियाँ या तो मुफ्त में बांट दी अथवा उन्हें आजाद कर दिया। लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर भी लोग ऐहतिहातन बाहर खाने-

पीने से बचते रहे, जिसके कारण उपर्युक्त पदार्थों की खपत कम रही। खपत कम रहने का एक अन्य कारण भोजन की बर्बादी का रुकना भी रहा, जो अक्सर शादी समारोहों, होटलों आदि में देखी जाती है। हालांकि, लॉकडाउन की घोषणा के समय लोगों के बीच खाद्य वस्तुओं के भंडारण की होड़ भी दिखी और बिचौलियों/दुकानदारों ने दाम ऊँचें करके मुनाफा भी खूब काटा, पर हमेशा की भाँति इस माहौल में भी असली अन्नदाता नुकसान में ही रहा।

यद्यपि अच्छे मानसून के चलते अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया और वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर विगत वर्ष की समान अवधि के 3% के मुकाबले 3.4% प्रतिशत रही¹, पर खाद्यान्न (गेहूँ, मक्का आदि) सस्ता हो जाने से किसान की वास्तविक आय में कमी ही रही। किसान की आय में कमी के कारण उसकी खर्च करने की क्षमता घटी और ग्रामीण मांग मंद ही रही। यद्यपि लाखों प्रवासियों की घर-वापसी ने ग्रामीण उपभोग में कुछ इजाफा जरूर किया, पर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग मध्यम ही रही।

द्वितीयक क्षेत्र पर प्रभाव

कोरोना संकट का सबसे ज्यादा असर मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र पर दिखाई दिया। मार्च 2020 में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही औद्योगिक गतिविधियाँ बंद हो जाने से श्रमिकों का गाँवों की ओर जो पलायन शुरू हुआ, उससे लगा मानो शहरों का अपना कोई वजूद ही नहीं है। दूर-दूर के गाँवों से आहिस्ता-आहिस्ता कितने लोग शहर आ गए थे, इसका अंदाजा सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर उमड़े जन-सैलाब से सहज लगाया सकता था। स्त्री, पुरुष, बच्चे अपनी छोटी-मोटी गृहस्थी के साथ मंथर गति से दुर्गम मंजिल की ओर ऐसे बढ़े जा रहे थे, मानो देश विभाजन के बाद उन्हें अपने-अपने वतन लौट जाने का फरमान जारी हुआ हो। कोरोना की मार छोटे-बड़े सभी उद्योगों पर पड़ी। भारी उद्योगों में सबसे अधिक

¹ NSO April-June 2020

प्रभावित होने वाले क्षेत्र धातु और खनन, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, टेक्स्टाइल, शीतल पेय, माल-ढुलाई एवं लॉजिस्टिक्स और तेल एवं गैस रहे।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून 2020 तिमाही के दौरान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में संकुचन (स्थिर मूल्य पर) 39.3% रहा जबकि विगत वर्ष की समान अवधि में इसमें 3% की वृद्धि देखी गई थी। इस अवधि में धातु और खनन गतिविधियों में 23.1% और निर्माण गतिविधि में 50.3% की गिरावट दर्ज हुई, जिसके फलस्वरूप सीमेंट उत्पादन में 38.3% और स्टील उपभोग में 56.8% की कमी देखने को मिली।²

इन क्षेत्रों के प्रभावित होने का प्रमुख कारण घरेलू और वैश्विक मांग में कमी, कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा और कुछ हद तक श्रमिकों की कमी रही। चूंकि वर्तमान समय में लगभग सभी भारी उद्योग उत्पादन संबंधी विभिन्न जरूरतों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर निर्भर हैं, अतएव, बड़े उद्योगों का परिचालन बाधित होने से सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हालत भी खराब हो गई।

गौरतलब है कि भारत की जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 30% से 35% के बीच है और कुल निर्यात में इनकी 49% की हिस्सेदारी है। एमएसएमई क्षेत्र में संख्या की दृष्टि से 99% सूक्ष्म (micro) और 0.52% लघु (small) उद्यम हैं।³ चूंकि एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों का पूँजी आधार बहुत सीमित होता है और भुगतान में तनिक भी देरी से उनका कारोबारी चक्र गड़बड़ा जाता है, इसलिए लॉकडाउन के दौरान जब आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, तो सबसे बुरा हाल इन्हीं स्टार्ट-अप और एमएसएमई का रहा। अप्रैल-2020 के अंत में हैदराबाद सर्कल में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 74% एमएसएमई बंद होने की दहलीज़ पर थे।⁴

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की सुस्ती आयात-निर्यात में गिरावट के रूप में भी परिलक्षित हुई। अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान निर्यात लगातार घटता रहा और यह गिरावट पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले अप्रैल, मई और जून 2020 में क्रमशः 12.4%, 36.47%, 60.28% रही। कोरोना संकट के चलते आयात में भी कमी आई और यह कमी अप्रैल, मई और जून 2020 में क्रमशः 58.65%, 51.05% और 47.59% रही।

इस दौरान सबसे आश्चर्यजनक बात जून 2020 में \$800 मिलियन की व्यापार-अधिशेष की स्थिति रही, जो जनवरी 2002 के बाद ऐसी पहली स्थिति है। जून 2020 में \$21.11 बिलियन आयात के मुकाबले हमारा निर्यात \$21.91 बिलियन रहा। पर व्यापार-अधिशेष की यह स्थिति कोई खुश होने वाली स्थिति नहीं है। बेहतर तो तब होता जब हमारे निर्यात का वॉल्यूम बढ़ता या यथावत रहता। इस व्यापार-अधिशेष की मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों की नरमी रही। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग गुड्स, कोयला, स्वर्ण, मशीनरी आदि के आयात में गिरावट का भी योगदान रहा।

पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में बहुत सारी चीजें (यथा-कच्चा माल, स्वर्ण) इसलिए आयात की जाती हैं ताकि फिनिशड गुड्स के तौर पर उन्हें पुनः निर्यात किया जा सके। साथ ही, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और यहाँ आधारभूत विकास से जुड़ी जरूरतों के लिए भी बहुत सी चीजें आयात की जाती हैं। इंजीनियरिंग गुड्स, कोयला, मशीनरी आदि के आयात में कमी हमारी आर्थिक गतिविधियों में कोरोना के कारण आई सुस्ती को दर्शाता है, जो एक सुखद स्थिति नहीं है।

औद्योगिक गतिविधियों के ठप्प होने का असर रोजगार पर भी पड़ा। शहरों से गाँवों की ओर जो

²Government of India, Ministry Of Statistics And Programme Implementation press release dated 31 Aug 2020

³Economic Times 07 Apr 2020

⁴The Times of India 27 april 2020

⁵Business Standard, 18 July 2020

पलायन हुआ, वह रोजगार की इसी अनिश्चितता के कारण था क्योंकि बिना काम के शहरों में रहकर मकान आदि का किराया चुकाना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। रोजगार का संकट गाँवों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी पैदा हुआ। एमएसएमई क्षेत्र जिसका संकेंद्रण ग्रामीण इलाकों में अधिक है, का रोजगार सृजन में लगभग 30% योगदान है और यह कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है⁶। एमएसएमई क्षेत्र की डाँवाडोल हालत ने एकाएक बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। यही कारण है कि जब अर्थव्यवस्था को पुनः स्फूर्ति प्रदान करने की बारी आई तो सरकार का सबसे अधिक फोकस एमएसएमई क्षेत्र पर ही रहा।

तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) पर प्रभाव

सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना-संकट का सबसे अधिक असर होटल, खानपान, पर्यटन और विमानन क्षेत्र पर पड़ा। एनएसओ के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून 2020 तिमाही में होटल, खानपान, ट्रेड, पर्यटन, संचार और प्रसारण जैसी सेवाओं में समेकित आधार पर 47% की गिरावट दर्ज हुई। चूँकि मार्च 2020 के पूर्वार्ध तक कोविड-19 महामारी दुनिया के कई देशों में फैल चुकी थी और यह संपर्क से फैलने वाली बीमारी थी, अतएव, सर्वप्रथम विदेशी संपर्क को काटने के खातिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाई गई। किन्तु जब देश में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो घरेलू हवाई सेवाएं भी रोक दी गईं।

विमानन क्षेत्र जो पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रहा था, इस पाबंदी से और भी दलदल में फँस गया। बाद में लॉकडाउन में ढील के साथ घरेलू उड़ान सेवाओं को चालू करने की अनुमति भी मिली, पर यात्रियों का टोटा ही रहा, जिसके कारण विमानन कंपनियों ने स्टाफ की छँटनी भी शुरू कर दी। ताजा उदाहरण 20 जुलाई 2020 को इंडिगो द्वारा 10% स्टाफ की छँटनी की घोषणा है। रेल, मेट्रो और बस

सेवाएं भी इसी तरह से प्रभावित हुईं और कुछ चुनिन्दा रूटों पर जो विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई भी गईं, वे यात्रियों की कमी से जूझती रहीं। आवागमन की सुविधाओं और पर्यटन का चोली-दामन का साथ है। कोविड-19 के कारण सभी पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए, जिससे पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों की रोजी-रोटी पर संकट बन आया, वहीं सरकार की पर्यटन से होने वाली आय भी प्रभावित हुई।

भारत आस्थावान लोगों का देश है और यहाँ घरेलू पर्यटन में सबसे बड़ा योगदान धार्मिक स्थलों के दर्शनार्थ किए जाने वाले भ्रमण का है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बंद रहने और कारोबारी-यात्राओं में कमी के कारण होटल उद्योग और टैक्सी सेवाएं भी हॉफ गईं। उन्हें आमदनी तो दूर, रखरखाव कर पाना मुश्किल हो गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से लोग इतना भयाक्रांत हैं कि आने वाले समय में भी देशाटन से बचेंगे। आयात-निर्यात के परिमाण में कमी का असर समुद्री कार्गो और हवाई कार्गो जैसी सेवाओं की आय पर भी पड़ा जिसमें अप्रैल- जून 2020 तिमाही में गिरावट क्रमशः 19.8% और 57.2% रही।⁷

बैंकिंग और बीमा सेवा क्षेत्र की अन्य बड़ी गतिविधियां हैं, जो कोरोना से प्रभावित हुई हैं। कोविड-19 के कारण व्यावसायिक गतिविधियाँ सुस्त हो गईं और नई परियोजनाओं को टाला जाने लगा जिससे बैंक-ऋण की मांग में अप्रत्याशित कमी आई। वहीं, कारोबार ठप्प होने और वेतन में कटौती/जॉब-लॉस के कारण लोगों की ऋण चुकौती-क्षमता भी प्रभावित हुई, जिससे नए एनपीए का खतरा और भी अधिक बढ़ गया है।

आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जुलाई 2020 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए मार्च 2020 के 8.5% के मुकाबले मार्च 2021 में 14.7% होने की आशंका जताई गई है⁸। वहीं, कोरोना के कारण ऋण-चुकौती क्षमता

⁶<http://employmentnews.gov.in/NewEmp/MoreContentNew.aspx?n=Editorial&k=30199 volume-42,19 - 25 January 2019>

⁷Government of India, Ministry Of Statistics And Programme Implementation press release dated 31 Aug 2020

⁸The Hindu, Mumbai Edition, 24 July 2020

प्रभावित होने की संभावना के मद्देनजर आरबीआई द्वारा ऋण अदायगी की अधिस्थगन अवधि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई⁹। इसका स्वस्थ ऋण संस्कृति और बैंकों की बैलेंस-शीट पर क्या असर होगा यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभावों को कम करने और वृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए हालांकि मौद्रिक नीति समिति द्वारा इस बीच रेपो दरों में 115 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गई है, किंतु मांग अभी भी सुस्त बनी हुई है। मांग में यह कमी तरलता की किल्लत के चलते नहीं, बल्कि कोविड-19 से उपजी अनिश्चितता के कारण है।

बैंकों के सामने एक अन्य समस्या महंगी मियादी जमाओं की भी है, जिनका उचित विनियोजन न होने से उन्हें दुहरा नुकसान हो रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बैंक अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन हैं और यदि इनकी सेहत खराब हुई तो अर्थव्यवस्था की सेहत खराब होना अवश्यंभावी है।


कोरोना महामारी ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से होने वाली आय को भी प्रभावित किया है। वर्तमान समय में भारत में शिक्षा ने एक कारोबार का रूप ले रखा है। नौकरियों के सीमित अवसरों ने कोचिंग और ट्यूशन के क्षेत्र में असीमित संभावनाओं को जन्म दिया है। सामाजिक दूरी और भीड़ न जुटाने की अनिवार्यता से इस कारोबार को काफी धक्का पहुँचा है, क्योंकि इस महामारी के दौर में मां-बाप बच्चे की पढाई से कहीं अधिक उसकी सलामती को लेकर चिंतित हैं। यद्यपि ऑनलाइन कोचिंग/शिक्षण के विकल्प अपनाए जा रहे हैं, पर देश में छात्रों की अभी भी बहुत बड़ी संख्या धनाभाव के कारण स्मार्ट फोन/लैपटॉप से दूर है।

जहाँ तक चिकित्सा क्षेत्र पर कोरोना के प्रभावों का प्रश्न है तो इस संबंध में लोगों के दो मत हैं। कुछ का मानना है कि इस महामारी ने चिकित्सा क्षेत्र में आमदनी और रोजगार की असीम संभावनाएं पैदा की हैं, तो कुछ यह भी मानते हैं कि इस महामारी से चिकित्सा सेवाओं के समग्र उपयोग में कमी आई है।

ऐसे लोगों का तर्क है कि इस महामारी के कारण लोगों ने बाहर जाना और बाहर खाना कम कर दिया है, जिसके कारण खाद्य एवं पेय-जन्य बीमारियों (यथा- कॉलरा, फूड प्वाइज़निंग, टायफायड, पीलिया आदि) और मौसमी बीमारियों (सर्दी, जुकाम, खाँसी, गला-नाक का संक्रमण, अस्थमा आदि) में असाधारण कमी आई है। इससे क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टरों की जहाँ आमदनी घटी है, वहीं इन बीमारियों से संबंधित दवाओं की बिक्री में भी कमी आई है। कोरोना-संक्रमण के भय से लोग अस्पताल/क्लीनिक जाने से बच रहे हैं और अतात्कालिक स्वरूप के इलाज़/शल्य चिकित्साएं भी टाली जा रही हैं। इस प्रवृत्ति के कारण चिकित्सा-सेवाओं की मांग और उपयोग में कमी आई और इससे इस क्षेत्र की आय घटी है।

कोरोना संकट का राजकोषीय स्थिति पर प्रभाव

कोरोना संकट से सरकार की राजकोषीय स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसके कारण अर्थव्यवस्था एक ऐसे विषम चक्र की ओर अग्रसर है; जहाँ पहली समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है और दूसरी समस्या पहली को। उदाहरण के लिए कोविड-19 के चलते कारोबारी टर्न-ओवर में गिरावट आई है, रोजगार घटा है (विशेषकर असंगठित क्षेत्र में) और



लोगों की आय में कमी आई है। इससे लोगों की खर्च करने की क्षमता घटी है, जो मंदी को और गहरा सकती है। उल्लेखनीय है कि हमारे यहाँ अधिकतर

⁹The Economic Times, 24 July 2020

वस्तुएं और सेवाएं कर के दायरे में हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लोग जितना अधिक खर्च करते हैं, सरकार का कर-राजस्व भी उसी हिसाब से बढ़ता है। मसलन जितनी ज्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर चलेंगी, उतना अधिक पेट्रोल बिकेगा। जितना अधिक पेट्रोल बिकेगा, सरकार को उतना अधिक कर प्राप्त होगा।

अप्रैल-मई 2020 में केंद्र के कुल कर-संग्रहण में 41.2%¹⁰ की गिरावट आई है जो यह दर्शाता है कि कोरोना संकट ने अर्थव्यवस्था के लिए कोढ़ में खाज का काम किया है। अर्थात् एक ओर जहाँ सरकार का कर-राजस्व घट रहा है, वहीं भोजन, स्वास्थ्य, चिकित्सा और पुनर्वास जैसी सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर उसका व्यय पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गया है। अकेले 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम', जो कोविड-19 से प्रभावित गरीबों, प्रवासी कामगारों और औरतों के लिए है, पर 01 लाख 70 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है¹¹।

इन आकस्मिक खर्चों के कारण विकासात्मक गतिविधियों हेतु धनाभाव हो गया है और सरकार की उधारी बढ़ रही है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2020 के 72.2% के मुकाबले बढ़कर 87.8% हो सकता है¹²। वहीं, राजकोषीय घाटा (सरकार के राजस्व और खर्च का अंतर) वित्त वर्ष 2020-21 के शुरुआती चार महीनों में ही कुल बजट लक्ष्य का 103% हो गया है¹³। बढ़ते ऋण-जीडीपी अनुपात और बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण रेटिंग के और भी गिरने का खतरा बढ़ गया है। साँवरेन रेटिंग गिरने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को धक्का लगेगा और भारत से पूँजी निकलने लगेगी, जिससे देश की मुद्रा भी कमजोर होगी।

कोरोना का अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव उम्मीद से भी बदतर नजर आ रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी

कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में स्थिर मूल्य (2011-12) के आधार पर 23.9% का संकुचन आया है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में इसमें 5.2% की वृद्धि दर्ज हुई थी अर्थात् यह वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के 35.35 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में घटकर 26.90 लाख करोड़ रुपए रह गई , जो एक सुखद स्थिति नहीं है।

विगत चालीस वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन (निगेटिव ग्रोथ) की यह पहली घटना है। गौरतलब है कि वर्ष 1979-80 में देश में गंभीर सूखा और ईरान में राजशाही के खिलाफ विद्रोह के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उबाल आने से जीडीपी में 5.2% का संकुचन आया था।¹⁴ अगर कोरोना का संकट लंबा चलता है और वर्षांत तक कोरोना-वैक्सीन नहीं आती है, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति और भी बिगड़ सकती है।

संभावनाओं के नए द्वार

कोरोना ने अर्थव्यवस्था पर अपने तमाम नकारात्मक प्रभावों के बावजूद कुछ नई संभावनाएं और नए अवसर पैदा किए हैं। इसने जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के द्वार खोले हैं। आज 'वर्क फ्रॉम होम' एक पसंदीदा संकल्पना बनकर उभरी है। इससे ऑफिस और उससे जुड़ी आधारभूत सुविधाओं तथा परिवहन पर होने वाले खर्च में कमी आएगी और कंपनियों के मार्जिन में सुधार होगा।

कोरोना के कारण ऑनलाइन बिज़नेस, जिसका हमारी जीडीपी में करीब 10% योगदान है¹⁵, की संभावनाओं को भी पंख लगे हैं। इस दौरान पैकेज्ड उपभोक्ता वस्तुओं की मांग ने रफ्तार पकड़ी है। इस संकट ने डिजिटल भुगतान की मुहिम को भी बल दिया है। मार्जिन में कमी से जूझ रही टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी यह एक वरदान सिद्ध हुआ है

¹⁰Cogencis, 21 July 2020

¹¹<https://www.boomlive.in/https://www.boomlive.in/fact-file/cash-transfer-free-lpg-grains-key-highlights-of-17-trillion-covid-19-relief-package-7374>

¹²The Economic Times, 20 May 2020

¹³Live Mint, 31Aug 2020

¹⁴Live Mint, 31Aug 2020

और इस दौरान डेटा-खपत में उल्लेखनीय इज़ाफा हुआ है। घर, ऑफिस, मॉल्स और अन्य सार्वजनिक स्थलों के सैनिटाइज़ेशन की जरूरत से केमिकल क्षेत्र एकाएक चहक उठा है। आज स्थिति तो यह है कि लोगों के बैग में फेस क्रीम हो या न हो, पर सैनिटाइज़र अवश्य रहता है। कोरोना संकट ने स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जिससे गंदगी से होने वाली बीमारियाँ और उस पर होने वाला खर्च घटा है।

उपसंहार

कोरोना का संकट अभी भी जारी है। इसके कारण अर्थव्यवस्था पर आगे कितना प्रभाव पड़ेगा यह तो आने वाला समय बताएगा। पर अब तक जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई में ही वर्षों लग जाएंगे। हालांकि अप्रैल-जून 2020-21 तिमाही में जीडीपी के इस चौंकाने वाले खराब प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण 5 सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन है। चूँकि वर्तमान समय में लॉकडाउन काफी हद तक समाप्त हो चुका है और आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होने लगी हैं, अतएव आने वाली तिमाहियों में स्थिति में सुधार की आशा की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा भी निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं और इस कड़ी में सरकार द्वारा 17 मई 2020 को रु. 20,97053 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज (जीडीपी का 10%)¹⁶ की घोषणा भी की गई है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लगभग 130 करोड़ की आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है।

इतनी बड़ी आबादी को संक्रमण से महफूज़ रख पाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए उसके संसाधन सीमित हैं। अगर सरकार के सभी आर्थिक संसाधन इस महामारी से जूझने में ही खर्च हो गए तो जनकल्याण से जुड़ी योजनाएं और आधारभूत सुविधाओं का विकास पीछे छूट जाएगा।

ऐसे में देश के हरेक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे कोरोना के खिलाफ़ सरकार की प्रत्येक मुहिम का हिस्सा बनकर उसे सफल बनाएं ताकि जल्द से जल्द इस महामारी को काबू किया जा सके और सिस्टम को बेपटरी होने से बचाया जा सके।

कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की आधुनिक क्रांति 'ब्लॉकचेन'

अवधारणा, विशेषताएँ, अनुप्रयोग और सीमाएँ

- डॉ घनश्याम शर्मा

प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु

ब्लॉकचेन का आविष्कार आज से ठीक 11 साल पहले सन 2009 में हुआ जब सतोशी नाकामोतो नामक व्यक्ति (या व्यक्तियों) ने बिटकॉइन का आविष्कार किया। ब्लॉकचेन वस्तुतः बिटकॉइन के निर्माण और संचालन में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है।

यद्यपि इस प्रौद्योगिकी का विकास बिटकॉइन के लेनदेन के माध्यम के तौर पर वितरित लेजर प्रणाली (डीएलटी) के रूप में हुआ, कालांतर में यह पाया गया कि वित्त सहित लगभग हर कारोबार में इसका समुचित दोहन किया जा सकता है। प्रस्तुत आलेख में ब्लॉकचेन की अवधारणा को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और उद्योगों में इसकी विशेषताओं और अनुप्रयोगों का विश्लेषण किया गया है।

इंटरनेट और ब्लॉकचेन में बुनियादी अंतर

इंटरनेट ने मनुष्य को ईमेल, डॉटकॉम, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट आफ थिंग्स जैसी उपयोगी और जीवनोपयोगी चीजें दी हैं। वेब नेटवर्क ने दुनिया को हर तरह से बदल दिया और इससे मनुष्य के जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव आए। लेकिन दुनिया के आर्थिक विकास के संदर्भ में इंटरनेट की बहुत सारी सीमाएँ भी सामने आई हैं। इंटरनेट मूलतः सूचना के आदान-प्रदान का साधन है। लेकिन सूचना के विनिमय से लेनदेन करने वाले लोगों के लिए एक दूसरे की पहचान को विश्वसनीय रूप से स्थापित और सत्यापित करना इसके लिए सदैव बड़ी चुनौती रही है।

इंटरनेट पर किए गए लेनदेन का डाटा सुरक्षित और सार्वजनिक रूप से पारदर्शी नहीं है। इसका कारण यह है कि इंटरनेट पर किए गए किसी लेनदेन की सत्यता की पुष्टि के लिए हमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है जो उस लेनदेन को वैधता

प्रदान करता है। सूचना प्रोटोकॉल आधारित इंटरनेट की दूसरी प्रमुख समस्या यह है कि यह दो व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा आपसी संयोजन से उत्पन्न किए गए मूल्य का लाभ सभी को समान रूप से प्रदान नहीं करता है। इसके उपयोग से मनुष्य का आर्थिक विकास तो हुआ है, किंतु उस विकास का स्वभाव समावेशी नहीं है। इंटरनेट का लाभ गिने-चुने लोगों और कंपनियों को अधिक मिला है। फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन और एप्पल जैसी कंपनियों ने मध्यस्थता आधारित इंटरनेट प्रौद्योगिकी की बदौलत बाज़ार पर एकाधिकार और वर्चस्व स्थापित कर लिया है। फेसबुक का प्रयोग करने वाले उपभोक्ता जो कंटेंट सृजित करते हैं उसके लिए उन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। सोशल नेटवर्किंग द्वारा सृजित मूल्य में सृजनकर्ता के लिए कुछ नहीं है, जबकि खपत की सामग्री अर्थात् सूचना का निर्माता वही है।

इसी प्रकार जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, उस सर्च की बदौलत गूगल हमारी प्राथमिकताओं, हमारे चयन और हमारी रुचियों की पहचान करता है। इस सूचना के आधार पर गूगल का सर्वर स्वचालित डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर हमें लक्षित विज्ञापन भेजता है, जिसके लिए वह उत्पाद कंपनियों से राजस्व प्राप्त करता है। ये कंपनियाँ आपके इनबॉक्स में अपने उत्पादों का प्रमोशन भेजती हैं। आपकी जरूरत और उस उत्पाद के बीच में इंटरनेट का उपयोग कर गूगल और फेसबुक ने एक मध्यस्थ का काम किया। हमारा डिजिटल फुटप्रिंट कीमती है। इसीलिए डाटा को 'न्यू आयल' कहा जाता है। हमारा व्यक्तित्व, हमारी पहचान और हमारी पसंद-नापसंद वह सब बाज़ार में मूल्य सृजन का हिस्सा है।

इसी प्रकार जब हम किसी बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर कोई ऑनलाइन उत्पाद खरीदते हैं या बच्चों की स्कूल फी ऑनलाइन जमा करते हैं तो हमें

उत्पाद के मूल्य के साथ भुगतान को प्रोसेस कर ने वाली मध्यस्थ प्लेटफॉर्म यथा Paypal, Razorpay या Rupaya को भी लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होता है। यदि हमसे वह शुल्क न लिया जाए तो उस वेंडर से लिया जाता है जिसे वेंडर उत्पाद के मूल्य में शामिल कर ग्राहक से ही वसूलता है। कारण यह कि भुगतान के समाधान के लिए ग्राहक और विक्रेता के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में बैंक दोनों की पात्रता और पहचान को प्रमाणित करता है। इसकी कीमत अंततः ग्राहक ही चुकाते हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि सूचना विनिमय आधारित इंटरनेट प्रौद्योगिकी का विश्वसनीय उपयोग किसी मध्यस्थ के बिना नहीं किया जा सकता। ऐसे केंद्रीय मध्यस्थ की अनिवार्यता से सूचना की निजता, सुरक्षा, गोपनीयता और लाभप्रदता प्रभावित होते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी इन सारी कमियों के समाधान के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है।


ब्लॉकचेन की परिभाषा

विकिपीडिया के अनुसार "ब्लॉकचेन, ब्लॉक कहे जाने वाले उन अभिलेखों (अर्थात लेनदेनों) की वृद्धिशील सूची है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश, एक टाइम स्टैम्प और लेनदेन का डेटा होता है"। यह डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) पर आधारित प्रौद्योगिकी है जिसमें लेनदेन की वैधता तय करने या उसका प्रमाणन करने के लिए किसी मध्यस्थ, यथा बैंक या सरकार, की आवश्यकता या उपस्थिति नहीं होती। ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी को सार्वजनिक रूप से वितरित करने की अनुमति देता है, लेकिन उसकी कॉपी करने, उससे छेड़छाड़ या उसमें बदलाव करनेकी अनुमति नहीं देता है। इसमें विश्वसनीयता, पारदर्शिता, गोपनीयता और अपरिवर्तनीयता प्रमुख स्तंभ हैं। ब्लॉकचेन मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर काम करता है-


1) वितरित डाटाबेस : ब्लॉकचेन में दर्ज किया गया अभिलेख किसी एक केंद्रीकृत सर्वर में नहीं रखा जाता है, बल्कि उस ब्लॉकचेन से जुड़े हुए लाखों कंप्यूटर पर वितरित होकर एक साथ मौजूद रहता है। किसी ब्लॉकचेन से जुड़े हुए सभी हितधारक उस श्रृंखला में निष्पादित किए गए सभी लेनदेन देख सकते हैं और उसमें किए गए लेनदेन का पूरा इतिहास भी स्थाई

रूप से दर्ज रहता है। किसी ब्लॉकचेन विशेष के सभी नोड आपस में किए गए लेनदेन को समान अधिकार से सत्यापित और पुष्ट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं होती है।

2) पीयर टू पीयर (P2P) संचार: ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर आधारित एप्लीकेशंस किसी केंद्रीय सर्वर से संचालित नहीं होते हैं। उनको पी2पी नेटवर्क पर रन किया जाता है और इस पर किसी एक केंद्रीय व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण नहीं होता। इसमें कोई केंद्रीय या विशेषाधिकार प्राप्त नोड नहीं होता और दो प्रतिभागी एक दूसरे से सीधे संचार स्थापित करते हैं। हर नोड सूचना प्राप्त करके उसे संरक्षित करता है और अन्य सभी नोड को प्रेषित कर देता है। सहमति प्रणाली (Consensus Mechanism) द्वारा नए ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जोड़ा जाता है। इंटरनेट आधारित केंद्रीय नेटवर्क और ब्लॉक चयन आधारित पी2पी नेटवर्क का अंतर नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है-



क्लाइंट-सर्वर मॉडल पर आधारित एक नेटवर्क, जहां व्यक्तिगत क्लाइंट केंद्रीयकृत सर्वर से सेवाओं और संसाधनों का अनुरोध करते हैं।



पीयर-टू-पीयर नेटवर्क जिसमें नोड्स (पीयर) केंद्रीयकृत प्रशासनिक प्रणाली के उपयोग के बिना संसाधनों को परस्पर साझा करते हैं।

3) गोपनीयता के साथ पारदर्शिता: सभी लेनदेन और उनके मूल्य उन सब लोगों को दिखाई देते हैं जिन्हें उस प्रणाली की पहुंच प्रदान की गई है। किसी ब्लॉकचेन के सभी उपयोगकर्ताओं अथवा नोड्स को

30 से अधिक अल्फान्यूमेरिक अक्षर समूहों से निर्मित एक विशिष्ट पता प्रदान किया जाता है जिसके द्वारा उस प्रयोगकर्ता की पहचान होती है। प्रयोक्ता स्वयं इसका चुनाव करते हैं कि उन्हें गुमनाम रहना है या अपनी पहचान दूसरों को प्रस्तुत करनी है। इससे यह तो पता चलता है कि किस ब्लॉक में कब और कितने मूल्य का लेनदेन किया गया, किन्तु लेनदेन करने वाले की पहचान सुरक्षित और तब तक गोपनीय रहती है जब तक वह स्वयं उसे प्रकट न करना चाहे।

4) अभिलेख की अपरिवर्तनीयता: जब किसी ब्लॉकचेन डाटाबेस के किसी ब्लॉक में एक बार लेनदेन को दर्ज कर दिया जाता है और खाता अद्यतन हो जाता है उसके बाद उस ब्लॉकचेन के अभिलेखों को बदला नहीं जा सकता है क्योंकि वे अभिलेख उस लेनदेन से पहले घटित सारे लेनदेन अभिलेखों में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए इसे 'चेन' नाम दिया गया है। वास्तव में उस ब्लॉक में किए जाने वाले परिवर्तन समसामयिक रूप से अन्य सभी ब्लॉकों में भी अपडेट हो जाते हैं। कंप्यूटरीय नियमों और विधानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि डेटाबेस में अभिलेख स्थाई व अपरिवर्तनीय रूप से दर्ज किए जाएं तथा उनमें विशिष्टता और क्रमिकता का पालन होता रहे।

ब्लॉकचेन के अनुप्रयोग

1) आभासी मुद्रा तथा भुगतान प्रणाली: ब्लॉकचेन पर आधारित क्रिप्टोकॉइन्स की विशेषता केवल यह नहीं है कि वह इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। आज के समय में डॉलर, यूरो और रूपया सभी मुद्राएं डिजिटल रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। लगभग सभी विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांश ग्राहक बैंक खाता रखते हैं और डेबिट/क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। अर्थात् पहले से ही लेनदेन के लिए धन का डिजिटल मुद्रा के रूप में उपयोग हो रहा है।

वास्तव में बिटकॉइन या किसी अन्य आभासी मुद्रा का लाभ यह है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी इसमें भुगतान के निपटान के लिए आत्मनिर्भर होने का विकल्प दे रही है। यह वैसा ही है कि जैसे बिटकॉइन प्रयोग करने वाले सभी लोग मानो एक ही बैंक से बैंकिंग कर रहे हों। बिटकॉइन ब्लॉकचेन का पहला सफल अनुप्रयोग है जो त्वरित और विश्वसनीय भुगतान और लेनदेन के लिए सार्वभौमिक मुद्रा के रूप में प्रचलित हो रहा है। यह मुद्रा किसी अंतर्निहित आस्ति से समर्थित नहीं होती, न तो किसी केंद्रीय बैंक या राष्ट्र द्वारा जारी या प्रतिभूतित होती है।

2013 में स्थापित 'सर्किल' नामक कंपनी बिटकॉइन का उपयोग करके पी2पी भुगतान प्रणाली उपलब्ध कराती है। इसी तरह से 2012 में शुरू हुई कंपनी 'रिटर्न' अंतर्देशीय भुगतान प्रणाली उपलब्ध कराती है, जिसमें भुगतान के माध्यम के रूप में क्रिप्टोकॉइन्स को स्वीकार किया गया है। किसी केंद्रीय बैंक के माध्यम से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट उपलब्ध कराते समय पारंपरिक बैंक भी लगभग उसी तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी लागत वाला और भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना होता है।

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मामलों में उनके सामने अलग-अलग मुद्रा में चलनिधि का प्रबंध करने की भी समस्या होती है क्योंकि पूरी दुनिया का कोई एक सेंट्रल बैंक नहीं है। ऐसे परिवेश में, भविष्य में ब्लॉकचेन से एक नई अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली मिलने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।

2) वित्तीय समावेशन: मौजूदा वित्तीय प्रणाली बहुत जटिल है जिससे जोखिम पैदा होता है। एक नई विकेंद्रित वित्तीय प्रणाली संभव है जो काफी सरल हो, क्योंकि ब्लॉकचेन मध्यस्थता के कई स्तरों को समाप्त कर सकता है। क्रिप्टोकॉइन्स तथा अन्य ब्लॉकचेन उत्पाद भविष्य में वित्तीय प्रणाली को उन लोगों के लिए भी खोल सकते हैं जो वर्तमान में इसके दायरे से बाहर हैं।

3) स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट: ब्लॉकचेन का दूसरा सबसे सफल अनुप्रयोग 'स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट' है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वे कंप्यूटरीय प्रोग्राम होते हैं जो व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच अभिलिखित करारों और उनकी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं और उनका निष्पादन स्वतःस्फूर्त और आत्मनिर्भर ढंग से करते हैं। किसी संविदा की शर्तों का पालन करवाना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एप्लिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है ताकि दुर्भावनापूर्ण या पारिस्थितिक उल्लंघनों से बचा जा सके और दोनों पक्षकारों के हितों को किसी मध्यस्थ, यथा बैंक, अदालत या सरकार, के हस्तक्षेप के बिना ही सुरक्षित किया जा सके। इस करार की शर्तें भुगतान, ग्रहणाधिकार या प्रवर्तन से संबंधित हो सकती हैं।

4) बैंक कारोबार के नए मॉडल: ब्लाकचैन टेक्नोलॉजी 'ट्रस्ट प्रोटोकॉल' पर आधारित है। यह विश्वास किसी शक्तिशाली मध्यस्थ जैसे कि बैंक या सरकार द्वारा नहीं उत्पन्न किया जाता है बल्कि नेटवर्क की पारस्परिक सहमति, क्रिप्टोग्राफी की सहायता और बुद्धिमानीपूर्वक निर्मित कोड के द्वारा संभव होता है। मानव इतिहास में पहली बार दो ऐसे पक्षकार, चाहे वह कारोबार हो या व्यक्ति, बिना एक दूसरे को जाने भी करार और लेनदेन कर सकते हैं और किसी मध्यस्थ की सहायता के बिना ही कारोबार के लिए मूल्य सृजन कर सकते हैं। कंसलटेंसी फर्म 'कैपजेमिनी' का अनुमान है कि ब्लॉकचैन द्वारा बैंकिंग और बीमा शुल्क के रूप में ग्राहकों द्वारा दिया जाने वाला लगभग 16 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष बचाया जा सकता है। लेनदेन की लागत को कम करने के साथ-साथ भविष्य में यह हमारे बहुत से मौजूदा संस्थाओं को अप्रासंगिक बना सकता है।

तथापि, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि बैंकिंग सुविधाएं पूरी तरह समाप्त या अप्रासंगिक हो जाएंगी। बैंकों के कारोबार के स्वरूप को बदलने में ब्लॉकचैन की भूमिका कैसी होगी, यह इस पर निर्भर करेगा कि बैंकिंग और वित्त कंपनियां ब्लॉकचैन को लेकर कैसा रुख अख्तियार करती हैं। अनुमानतः जो कंपनियां ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपनी संस्था के भीतर उसे लागू कर अपनी ग्राहक सेवा और कार्य पद्धति में सुधार लाएंगी, उन्हें ब्लॉकचैन से अत्यधिक लाभ होगा।

5) वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (ग्लोबल सप्लाइ चैन): बहुत सारी नई कंपनियां और उपक्रम ब्लॉकचैन का उपयोग पूरी दुनिया में ग्लोबल सप्लाइ चैन को बदलने के लिए करना चाहते हैं। एक ऐसी आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण ब्लॉकचैन द्वारा संभव है जिसमें विक्रय अधिकार, अभिलेख अधिकार और गतिविधियों को रीयल टाइम के अनुसार ट्रैक किया जा सके और दो कारोबारियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान शीघ्रता से हो सके व उसकी निगरानी की जा सके।

6) लेखांकन तथा वर्ल्ड वाइड लेजर के लिए एप्लिकेशन: किसी भी सफल कारोबार का एक बुनियादी फंक्शन होता है उसके भीतर और उसके द्वारा किए जाने लेनदेन का अभिलेख सतत रूप से दर्ज किया जाना तथा उसके आधार पर कारोबारी निर्णय लेना। इन अभिलेखों द्वारा उस कारोबार के अतीत

और वर्तमान में किए गए कार्य-निष्पादन का पता चलता है और भविष्य के लिए कार्ययोजना बनती है। ब्लॉकचैन किसी कारोबार के लेखांकन और लेखा-परीक्षा के लिए एक वरदान बन सकता है। इससे लेखांकन और लेखा-परीक्षा कार्यों में आ रही लागत को बहुत अधिक कम किया जा सकता है और उन्हें अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बनाया जा सकता है।

बिग फोर के रूप में मशहूर डेलॉयट, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, अर्नस्ट एन्ड यंग, और केपीएमजी पेशेवर लेखांकन और वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाली दुनिया की चार सबसे बड़ी लेखांकन कंपनियां हैं। ये सभी कंपनियां आज ब्लॉकचैन के प्रयोग पर रिसर्च कर रही हैं और अपने कारोबार में ब्लॉकचैन मॉडल को शामिल कर रही हैं।

7) ब्लॉकचैन के कुछ और अनुप्रयोग: वर्तमान समय में ब्लॉकचैन के उपयोग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और उद्योग के कई क्षेत्रों में इसके उपयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। दुनिया के कुछ केंद्रीय बैंकों ने या तो ब्लॉकचैन आधारित आभासी मुद्रा के प्रचलन को मंजूरी दे दी है अथवा वह वित्तीय क्षेत्र में उसके उपयोग के लिए शोध कार्यों को प्रायोजित कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन चेज, सिटीग्रुप और क्रेडिट सुइसे कुछ ऐसे बैंक हैं जो ब्लॉकचैन में शोध के लिए अच्छा निवेश कर रहे हैं।

कई देश ब्लॉकचैन को समतामूलक और कल्याणकारी प्रशासन के लिए उपयोगी साधन के रूप में भी देख रहे हैं। दुबई ब्लॉकचैन परियोजना का उद्देश्य सन 2020 तक दुबई को पूरी तरह से ब्लॉकचैन सशक्त पहला शहर बनाना है ताकि दुबई को दुनिया का सबसे खुशनुमा शहर बनाया जा सके। सरकारी कौशल, उद्योग को बढ़ावा और अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व दुबई ब्लॉकचैन परियोजना की कार्यनीति के तीन स्तंभ हैं। ब्लॉकचैन द्वारा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को पोषित करने वाली संरचनाओं में आमूलचूल परिवर्तन संभव है। इस दिशा में निरंतर कार्य चल रहा है। वास्तव में ब्लॉकचैन के उपयोग की दिशाएं असीमित हैं।

ब्लॉकचैन की चुनौतियां

ब्लॉकचैन निसंदेह एक उन्नत और संभावनाशील प्रौद्योगिकी है। किंतु अभी इसके समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। आभासी मुद्रा का प्रयोग करने वालों को विनिमय दर और क्रिप्टोकॉरेंसी की स्टोरेज

वैल्यू में अनिश्चितता का जोखिम उठाना पड़ सकता है। वर्तमान में कारोबारी मॉडल में शामिल करने हेतु ब्लॉकचेन के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी भी एक समस्या है। यह एक नई तकनीक है जिसे अपनाने में अभी काफी समय लग सकता है। इस प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने में भी कुछ कठिनाई है। बीजा प्रति सेकंड जहां 10,000 लेनदेन करता है, बिटकॉइन मुद्रा में प्रति सेकंड केवल 8 लेनदेन ही होते हैं। लेखा परीक्षा, कराधान, देयता, पारदर्शिता और उपयोग से संबंधित विनियामकीय मुद्दे हैं जिनके कारण इस प्रौद्योगिकी को स्थापित होने में बाधाएं आ सकती हैं। इसके अलावा 'प्रूफ ऑफ वर्क' के लिए माइनरों द्वारा की जाने वाली बिटकॉइन माइनिंग गतिविधियों में बिजली की बहुत अधिक खपत होती है जो पर्यावरण के लिए जोखिम बन सकता है।

निष्कर्ष

ब्लॉकचेन कम लागत में सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी लेनदेन की उन्नत और त्वरित प्रौद्योगिकी है। इसमें लेनदेन और उसका अभिलेखन तत्काल आधार पर पूरा किया जाता है। चूंकि ब्लॉकचेन में दर्ज की गई कोई सूचना किसी एक केंद्रीकृत सर्वर में नहीं रखी जाती है, वह पारंपरिक इंटरनेट मॉडल की तुलना में अधिक सुरक्षित है। हैकरों या साइबर अपराधियों के लिए किसी एक केंद्रीकृत सर्वर में रखी गई सूचना को भेद पाना कहीं अधिक

आसान है। किंतु ऐसा अभिलेख जो लाखों कंप्यूटरों में वितरित हो, उसके सुरक्षाचक्र को तोड़ना उनके लिए न तो अर्थक्षम है और न ही व्यावहारिक रूप से संभव। ब्लॉकचेन से हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जिसमें संविदाएं एक डिजिटल कोड पर आधारित होंगी और उन्हें पारदर्शी और साझा किए जाने योग्य ऐसे डाटाबेस में रखा जाएगा जिसमें वे विलोपन, छेड़छाड़ या परिवर्तित किए जाने के खतरे से सुरक्षित रहेंगी।

ब्लॉकचेन कोई टॉपअप प्रौद्योगिकी नहीं है जो पुरानी प्रौद्योगिकी को तुरंत विस्थापित कर दे। यह एक परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी है जिसमें हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों को नई संरचना प्रदान करने की क्षमता है। यद्यपि इसका प्रभाव बहुत दूरगामी और व्यापक होना लगभग तय है, हमारी आर्थिक और सामाजिक संरचना में ब्लॉकचेन को पूरी तरह से स्थापित होने में अभी समय लग सकता है। यह देखते हुए कि अभी ब्लॉकचेन को आए हुए सिर्फ एक दशक हुआ है, इसका भविष्य उज्ज्वल और अवश्यंभावी दिखाई देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में हमारे निजी और कारोबारी जीवन में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की उपस्थिति कई तरह से दर्ज हो सकती है।

सन्दर्भ पुस्तकों/सामग्रियों की सूची –

1. ब्लॉकचेन रेवोलुशन : हाऊ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टोकॉरेंसीज इज चेंजिंग द वर्ल्ड (लेखक- डॉन टैपस्कॉट तथा अलेक्स टैपस्कॉट), पेंगुइन कनाडा, 2018
2. ब्लॉकचेन : द इनसाइट्स यू नीड फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू (एचबीआर प्रेस, बोस्टन), 2019
3. फिनटेक फ्यूचर : द डिजिटल डीएनए ऑफ फाइनांस (लेखक- संजय फडके), सेज पब्लिकेशंस इंडिया, 2020
4. <https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain>
5. <https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp>
6. <https://techterms.com/definition/blockchain>

स्वावलंबन की सरल सीढ़ी : स्वयं सहायता समूह*

- विजया अय्यर

निदेशक, स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थान

वाशी, मुंबई

स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य है एक ऐसा स्वैच्छिक तथा अनौपचारिक संगठन जो एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी सहायता से समस्तरीय व्यक्तियों द्वारा उनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने, सामान्य समस्याओं या कमियों से छुटकारा पाने तथा उसमें सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन लाने हेतु निर्मित किए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह के निर्माण का उद्देश्य सदस्यों को निर्धनता से मुक्ति दिलाना तथा आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करना होता है।

बांग्लादेश में श्री मुहम्मद यूनुस ने 1976 से सूक्ष्म वित्त को आधार बनाकर स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की थी। भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 1986 से स्वयं सहायता समूह की संकल्पना को आगे बढ़ाया। स्वयं सहायता समूह की कई विशेषताएँ हैं। कई बैंकों ने स्वयं सहायता समूह के सिद्धांतों को कार्यान्वयित किया है। स्वयं सहायता समूह के निर्देशक नियम तथा उनके व्यावहारिक पहलू निम्नलिखित हैं:

स्वयं सहायता समूह की विशेषताएँ	व्यावहारिक वास्तविकता (अनुभव पर आधारित)
स्वयं सहायता समूह का गठन 5-20 सदस्यों द्वारा मिलकर स्वेच्छा से करना अपेक्षित है। समूह में सामान्यतः 10 से 20 सदस्य होने चाहिये।	यदि समूह में 10 से कम सदस्य होते हैं तो समूह बड़े पैमाने की परियोजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनकी बचत राशि भी पर्याप्त नहीं जमा हो पाती है। समूह की बचत राशि के गुणांक में ही बैंक से ऋण सीमा तय होती है। समूह में 20 से अधिक सदस्य होने पर कम्पनी अधिनियम के तहत समूह का पंजीकरण आवश्यक हो जाता है। अतः ज्यादातर समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 15 तक ही होती है। इसमें व्यावहारिक वास्तविकता यह है कि समूहों में कई बार सदस्यों की संख्या में कई कारणों से परिवर्तन आते रहते हैं- जैसे महिला बचत समूह में किसी महिला की शादी हो जाने के पश्चात वह दूसरी जगह रहने चली जाती है या फिर कोई नयी महिला विवाहित होकर समूह के गाँव में रहने आती है। अतः सदस्यों की संख्या में संतुलन करते रहना पड़ता है।
कोई सरकारी संगठन, बैंक अधिकारी, गैर-सरकारी संगठन, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं स्वैच्छिक संस्था या कोई सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को समूह बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।	बैंक अधिकारी को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित करते समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ - एक महिला बैंक अधिकारी ने स्वयं सहायता समूह बनाने के उद्देश्य से एक गाँव में केवल महिलाओं की मीटिंग ली। दूसरे दिन उस गाँव के सभी पुरुष बैंक आए तथा उस महिला बैंक अधिकारी से यह कहकर झगड़ने लगे कि "आप हमारे गाँव क्यों आए थे, हम अच्छी तरह जानते हैं! हमारी कुछ आदतों जैसे धूम्रपान, मदिरापान इत्यादि को रोकने के लिए हमारे घर की महिलाओं को हमारे खिलाफ भड़काने आए थे!" कई प्रयत्नों के बाद ही उन गाँववालों को स्वयं सहायता समूह की महत्ता समझ में आयी।

<p>स्वयं सहायता समूह के सदस्य प्रायः समान हित, समान लिंग, समजातीय, समवर्गीय समान पृष्ठभूमि एवं समान परिवेश के तथा परस्पर एक-दूसरे को जानने वाले होने चाहिये अर्थात् इनमें विषमता नहीं होनी चाहिये। उनका आर्थिक स्तर समान होना चाहिये ताकि कोई भी सदस्य अपने आप को बड़ा या छोटा न समझे।</p>	<p>स्वयं सहायता समूह के अधिकतर सदस्य समान पृष्ठभूमि के ही होते हैं। परंतु कई बार उनमें विषमताएं भी पायी जाती हैं। हालांकि उन विषमताओं को दूर करने में कई समूह सफल भी हुये हैं। उदाहरणार्थ – कई शिक्षित सदस्यों ने अंगूठा-छाप महिलाओं को पढा-लिखा कर हस्ताक्षर करना सिखा दिया है।</p>
<p>स्वयं सहायता समूह में एक परिवार का एक ही सदस्य होना उचित होता है।</p>	<p>एक रोचक व्यावहारिक अनुभव – एक गाँव में एक महिला बैंक अधिकारी की प्रेरणा से महिला स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ। समूह की मीटिंग समाप्त होने के बाद एक कम उम्र की महिला, बैंक अधिकारी के पास आयी तथा कहने लगी “मैं अपनी सास को अपने समूह में नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि वह हमेशा मुझे ताने मारती रहती है।” उसके दूसरे दिन एक बुजुर्ग महिला शाखा में आयी तथा बैंक अधिकारी से विनती करने लगी- “मुझे उसी समूह में रहना है जिसमें मेरी बहू है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बहू क्या-क्या कार्य करती है!” अतः यह प्रश्न उठा- “क्या सास-बहू एक समूह में रह सकती हैं? बैंक अधिकारी ने समझाया कि समूह पर किसी एक परिवार का नियंत्रण नहीं होना चाहिये। इसलिए एक समूह में किसी भी परिवार का एक ही सदस्य लिया जाना उचित होता है। एक परिवार अर्थात् एक चूल्हा से एक ही सदस्य हो सकते हैं। व्यक्ति नहीं बल्कि एक परिवार को एक इकाई माना जाता है।</p>
<p>स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली, नियमावली तथा पदाधिकारियों का निर्णय सामूहिक रूप से स्वयं सहायता समूह के सदस्य सर्वसम्मति से करते हैं।</p>	<p>वास्तविक व्यवहार में यह देखा जाता है कि जो शिक्षित सदस्य हैं, केवल वही सभी कार्य करते हैं तथा अन्य सभी सदस्य उन शिक्षित-सदस्यों पर ही निर्भर रहते हैं।</p>
<p>छोटी बचत के लिए सुविधा एवं कठिन समय में उनके अपने ही घर के आस-पास ऋण उपलब्ध कराने की संकल्पना स्वयं सहायता समूह में निहित है।</p>	<p>गरीबों को व्यक्तिगत रूप से ऋण देना, उसकी निगरानी करना तथा ऋणों की वसूली करने में कई स्वयं सहायता समूहों को सफलता मिली है।</p>
<p>सामान्यतः छह महीने तक बचत एवं साख गतिविधि सफलतापूर्वक कर लेने के पश्चात्, बैंक अधिकारी द्वारा समूह संचालन, बचत, ऋण तथा उसकी बैठक, विवरणी, मीटिंग रिकॉर्ड एवं कार्यवृत्त इत्यादि का आकलन किया जाता है और इसके आधार पर समूह की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग के बाद समूह को आवश्यकता के अनुसार ऋण दिया जाता है।</p>	<p>कई बैंकों ने ग्रेडिंग के बाद समूह को आवश्यकतानुसार ऋण देकर महिलाओं तथा गरीबों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।</p>

स्वयं सहायता समूह के लाभ

स्वयं सहायता समूह, सदस्यों को निर्धनता से मुक्ति तथा बचत की भावना के साथ आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता दिखाते हैं। स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ महिलाओं

को समाज में सम्मानित एवं गरिमापूर्ण स्थान दिलाने में मदद करते हैं। बैंक तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाएं महिलाओं को ऋण देकर महिला उद्यमों के सृजन, विकास व संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इससे महिलाओं की स्वायत्तता, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार, आत्मविश्वास और सामाजिक ओहदे में वृद्धि हुई है। सदस्यों में उद्यमशीलता, प्रबंधकीय गुणों जैसे नेतृत्व व निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि का विकास दृष्टिगोचर होता है। आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्द्धक वस्तुओं का उत्पादन तथा नवाचार एवं रचनात्मक उद्योगों (क्रिएटिव इंडस्ट्रीज) को प्रोत्साहन मिलता है।

रोजगार, स्वरोजगार व उद्यमिता से गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलती है। विभिन्न संसाधनों (मानव, वित्तीय, प्राकृतिक एवं अन्य) के समुचित उपयोग से और स्थानीय माँगों के अनुरूप वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती भी मिलती है।

**लेखिका के व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित लेख*

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकने में भी सहायक हुये हैं। इनसे क्षेत्रीय आर्थिक व सामाजिक असमानता को कम करने में भी मदद मिलती है।

देश में गरीबी बहुआयामी है। परंतु इन मेहनती गरीबों में निहित प्रतिभा, इच्छाशक्ति एवं संभावनाएं असीमित होती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वावलंबन, स्व-आजीविका तथा समृद्धि को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुए मुश्किल हालात में परिपूर्ण, सक्षम और विकासोन्मुख अवसर सृजित करने में स्वयं सहायता समूह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव

- सुबह सिंह यादव

सहायक महाप्रबंधक एवं शिक्षण प्रमुख (सेवानिवृत्त)
बड़ौदा अकादमी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जयपुर

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओ) का प्रभाव मूल रूप से मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटाये जाने से उत्पन्न प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण से संबंधित है। इसके फलस्वरूप इन उद्योगों को नयी कार्यनीतियां तथा योजनाएं बनाने को बाध्य होना पड़ा है। किसी भी अन्य देश की तरह जहां भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर डबल्यूटीओ का प्रभाव मिश्रित प्रकृति का दिखाई देता है, वहीं इस मिश्रित प्रकृति के साथ एक अन्य पहलू भी जुड़ा हुआ है। वह है, भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित परिदृश्य।

भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिये संरक्षणात्मक नीति अपनाई गयी जिसमें अन्य उपायों के अतिरिक्त उत्पाद आरक्षण, रियायती दर पर साख देना, ऊँची प्रशुल्क दर के रूप में आयातों से पृथक्करण, अधिमानित सरकारी खरीद इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इससे इस क्षेत्र में कृत्रिम संरक्षण एवं दंभी वातावरण उत्पन्न हो गया। परिमाणात्मक प्रतिबंधों के हटने के बाद दुर्भाग्य से इनके सामने घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय बाजार में तीक्ष्ण प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है। इस पृष्ठभूमि में यह कहना सर्वथा समीचीन है कि भारतीय उद्योग, चाहे वह बड़ा हो अथवा छोटा, अपने अस्तित्व के लिए कठिन चुनौतियों से जूझ रहा है।

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मूलतः लघु इकाइयां हैं, जिसमें 90 प्रतिशत का संयन्त्र एवं मशीनरी में विनियोग 25 लाख रुपए से कम है तथा

इन्हें मान्यता भी प्राप्त नहीं है। भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जिन्हें अब तक सरकार को विशेष तथा विभेदात्मक सम्बल प्राप्त था, अब न केवल बड़ी विदेशी कम्पनियों से, अपितु विकासशील देशों के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं।

सर्वाधिक प्रभावित कौन?

सामान्यतः लघु एवं मध्यम उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है- 1) ऐसे लघु एवं मध्यम उद्योग जो निर्यातोन्मुखी हैं तथा 2) वे उद्योग जो केवल घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरी ओर इन्हें आयातित इनपुटों के प्रयोग की सघनता के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। वे एमएसएमई जो आयातित इनपुटों का कम प्रयोग करते हैं, वे उदारीकृत आयातित इनपुटों से शायद ही प्रभावित हो क्योंकि वे आयातित इनपुटों की किसी सार्थक मात्रा का प्रयोग करते ही नहीं।

दूसरी ओर इनपुटों के आयात में उदारीकरण के कारण ऊँची आयात सघनता वाले एमएसएमई लाभ प्राप्त करने लगे हैं क्योंकि उन्हें समस्त स्रोतों से इनपुट प्राप्त होने लगे हैं तथा साथ में बेहतर गुणवत्ता वाले इनपुट भी मिलने लगे हैं। परिणाम स्वरूप इस तरह के निर्यातोन्मुखी एमएसएमई को अन्तरराष्ट्रीय बाजार में लाभ मिलना ही चाहिये क्योंकि उनकी उत्पादन की लागत कम हो जाती है तथा आयातित इनपुटों के प्रयोग के कारण उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है।

इसके अतिरिक्त काफी बड़ी मात्रा में लघु एवं मध्यम उद्योग केवल घरेलू बाजार के लिये ही उत्पादन करते हैं। जब विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत सभी प्रतिबंध हटा लिये गये हैं, तो ये एमएसएमई क्षेत्र विरोधी प्रतिस्पर्धा का गंभीर सामना कर रहे हैं क्योंकि विदेशी आपूर्तिकर्ता उनके सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हुए खड़ा है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार, भारत ने सभी तरह के परिमाणात्मक प्रतिबंध, गैर-प्रशुल्क अवरोध इत्यादि को आयातों पर से हटा लिए हैं।

ऐसी स्थिति में वे कुछ क्षेत्र जहां उत्पादन की लागत अन्तरराष्ट्रीय तुलना में काफी कम है, जीवित रह पायेंगे तथा उच्च उत्पादन लागत वाले उद्योग सर्वाधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। साथ ही, निम्न अथवा शून्य आयातित इनपुटों का प्रयोग करने वाले एमएसएमई गंभीर रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि सस्ते मूल्य एवं बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पाद इस क्षेत्र के अस्तित्व के लिये गंभीर खतरा हैं।

विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान तथा भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

जहां विश्व व्यापार संगठन के किसी भी अनुबंध में विशाल-स्तरीय अथवा लघु-स्तरीय अन्तर नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में विशाल-स्तरीय उद्योग की अपेक्षा लघु-स्तरीय उद्योग पर प्रमुख अनुबंधों का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(अ) प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता

इस अनुबंध का प्रमुख उद्देश्य सरकार/संगठन के ऐसे कार्य को प्रतिबंधित करना है जो सामान्य व्यापार को विकृत करता है तथा सदस्य देशों तथा घरेलू एवं विधिपूर्वक आयातित वस्तुओं के बीच भेदभाव करता है। भारत ने विश्व व्यापार का संस्थापक सदस्य होने के नाते प्रशुल्क घटा दिये हैं तथा बहुत-सी प्रशुल्क लाइनों पर विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

आरंभ में भारत ने अप्रैल 2001 तथा मार्च 2002 को 1429 वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए थे।

इनमें से 700 मर्दे प्रतिबन्धित सूची में, 685 विशेष आयात लाइसेंस सूची तथा 44 कनेलाइज्ड सूची में थीं। इनमें लगभग 450 मर्दे लघु विनिर्माण संबंधी भी शामिल हैं। मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटाये जाने से आयातों में आये अचानक उछाल से कई लघु उद्योगों पर कुप्रभाव पड़ा, जिसमें हल्की इंजनियरिंग वस्तुएं, इलेक्ट्रिक वस्तुएं, खिलौने, सजावटी सामान इत्यादि शामिल हैं। इसके बाद चीन के सस्ते सामान का काफी मात्रा में अन्तः प्रवाह देखा गया।

(ब) व्यापार को तकनीकी बाधाएं तथा सेनेटरी एवं फाइटोसेनेटरी (एसपीएम) उपाय

इस अनुबंध का उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा आदेशित उत्पाद मानकों का दुरुपयोग रोकना तथा खाद्य एवं पशुदाना से होने वाली बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को बचाना है। भारत में भारतीय मानक ब्यूरो अन्तरराष्ट्रीय मानकों की पालना करता है तथा वस्तुओं की गुणवत्ता को निरन्तरता के आधार पर सुधारने के प्रयास करता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि टी.बी.टी. अथवा एस.पी.एम. के आधार पर बहुत सारे निर्यातों को या तो अस्वीकार कर दिया गया है अथवा उनपर और आगे जांच करने का विचार किया गया है।

भारत से इलेक्ट्रिक मशीनरी, उपभोक्ता सामान, फार्मेस्यूटिकल्स निर्यात इत्यादि टी.बी.टी. अनुच्छेद से पीड़ित हैं, वहीं खाद्य निर्यात, एसपीएम से कुप्रभावित हैं। जहां एक ओर इन गैर-प्रशुल्क उपायों से विदेशी बाजारों में भारतीय निर्यातों पर कड़े प्रावधान लागू हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये उपाय भारत को हमारे यहां आयात के माध्यम से आने वाले मुक्त विदेशी उत्पादों पर नियन्त्रण भी लगाए जा रहे हैं।

(स) राशनीपात के विरुद्ध उपायों पर समझौता

इस अनुबंध का उद्देश्य एक देश को उन आयातित वस्तुओं के विरुद्ध उपाय करने से है जहां गैर-वाजिब व्यापार व्यवहारों से लाभ हो रहा है। विश्व व्यापार संगठन सरकारों को उस स्थिति में कार्रवाई करने की अनुमति देता है, जहां प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग को वास्तव में नुकसान हो रहा है। भारत

ने भी कई वस्तुओं पर राशनीपात विरुद्ध कर लगाये हैं, अधिकांशतः उन मामलों में जहां बड़ी इकाइयों कार्यशील हैं।

यह वास्तव में चिंता का विषय है कि उन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जहां छोटा व्यवसाय प्रचलित है। इसमें लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रति कहीं न कहीं अवहलेना परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त राशनीपात विरोधी प्रभार भारत की निर्यात संभावना को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

(द) सुरक्षा उपायों पर अनुबंध

यह अनुबंध एक देश को संक्रमण अवधि के दौरान घरेलू विनिर्माण को नुकसान पहुंचाने वाले और गलत आयात के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देता है। ऐसा परिबंधित दरों की सीमा से आगे आयात शुल्क बढ़ाकर अथवा नये उद्योगों तथा वर्तमान उद्योगों के विकास के लिये मात्रात्मक प्रतिबंध लगाकर किया जा सकता है। भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को इस अनुच्छेद को ठीक से समझना होगा क्योंकि इस अनुबन्ध में विश्व व्यापार संगठन के बाद के युग में भी घरेलू उद्योग को सुरक्षित करने के प्रावधान निहित हैं।

(य) सब्सिडी तथा काउंटरवेलिंग उपायों पर अनुबंध

यह एक देश को निर्यात सब्सिडी तथा अन्य ऐसी किसी सब्सिडी का प्रयोग करने से रोकता है, जिसके काफी अधिक व्यापार को विकृत करने वाले प्रभाव पड़ते हैं। इसमें केवल अनुमत सब्सिडी का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।

काउंटरवेलिंग करों का प्रयोग किसी भी कार्य करने योग्य, कार्यवाही करने योग्य सब्सिडी के विरुद्ध किया जा सकता है। भारत में ईपीसीजी (EPCG) स्कीम, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच एच सी, निर्यात साख की रियायती दर आदि को कार्यवाही करने योग्य सब्सिडी माना गया है, जिन्हें हटाया जा रहा है।

आकार तथा सेवीवर्गीयों की संख्या के आधार पर अभिचिन्हित किये गये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम

उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी तथा कुछ निश्चित ग्रीनफील्ड क्षेत्रों के अन्तर्गत शोध एवं विकास को संवर्धित करने वाली सब्सिडी को गैर कार्यवाही योग्य सब्सिडी माना गया है। सब्सिडी तथा काउंटरवेलिंग उपायों पर हुये अनुबंध के इस अनुच्छेद की यदि ठीक से व्याख्या की जाये तो यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र से निर्यात को बढ़ा सकता है।

(र) टैक्सटाइल तथा कपड़े पर अनुबंध

विकसित देशों द्वारा विकाशील देशों के विरुद्ध लगाया गया मल्टी-फाइबर एग्रीमेंट जो धारा 80 सी के अन्तर्गत थोपा गया था, सन् 2005 तक क्रमशः खत्म होना था। इसके परिणाम स्वरूप भारत को सकारात्मक एवं नकारात्मक- दोनों ही परिणाम मिल रहे हैं।

जहां एक ओर इससे विकसित देशों में भारत के लिये बड़े स्तर पर बाजार खुले हैं, जो अभी तक परिमाणात्मक प्रतिबंधों के माध्यम से संरक्षित थे। वहीं दूसरी ओर हमारे निर्यातकों को चीन, इण्डोनेशिया, बंगलादेश, पाकिस्तान तथा श्रीलंका जैसे निर्यातक देशों से कीमत, गुणवत्ता तथा प्रदायकता के अर्थों में गलाघोट प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि टैक्सटाइल के क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योग छाये हुये हैं, अतः इस क्षेत्र की ओर अधिक गंभीरता से ध्यान देना होगा क्योंकि वर्तमान में यह क्षेत्र घिसी-पीटी तकनीकी, निम्न स्तर की प्रोसेसेज, परम्परागत कौशल एवं निम्न उत्पादकता से पीड़ित है।

यहां यह भी वर्णन करना उचित होगा कि विकसित देशों में जहां परिमाणात्मक प्रतिबंध को हटाया गया है, वहीं राशनीपात विरोधी उपायों, उपभोक्ता सुरक्षा, पारिस्थितिकी लेबलिंग, बाल श्रम संलग्नता इत्यादि के नाम से बढ़ती हुई मात्रा में गैर-प्रशुल्क अवरोध लगाये गए हैं। ये मुद्दे काफी अधिक महत्व के हैं तथा इन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए, विशेषकर इस क्षेत्र में प्रचलित गैर संगठित लघु इकाइयों को सन्दर्भ में।

(ल) कृषि पर अनुबंध

इस अनुबंध के अनुसार कृषि पर से अनुचित सब्सिडी खत्म कर दी गई है तथा इसे प्रशुल्क में बदल दिया है। सभी गैर-प्रशुल्क अवरोधों को प्रशुल्क में बदल दिया गया है।

अधिकांश विकसित देशों ने भी अपने परिमाणात्मक प्रतिबंधों को उच्च प्रशुल्क में बदल दिया है। इस अनुबंध के बाद हुये व्यापार उदारीकरण से भारतीय कृषि क्षेत्र तथा कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगे।

एक ओर जहां भारत विश्व व्यापार में अपने कुछ कृषि आधारित उत्पादों को बेच रहा है, विशेषकर उन उत्पादों को, जिनमें हमें प्रतिस्पर्धी लाभ उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर भारतीय बाजार में भी सस्ते विदेशी कृषि उत्पादों की भरमार आ रही है।

(व) सरकारी प्रापण (प्राप्ति) अनुबंध

इस अनुबंध के अनुसार सरकार को घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय उत्पादकों एवं वस्तुओं को समान दर्जा देना होगा।

यद्यपि भारत इस अनुबंध में हिस्सेदार नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में सरकार इससे सहमत हो जाये। यदि ऐसा हुआ तो लघु उद्योग क्षेत्र से बड़ी मात्रा में होने वाली खरीद जो घर पर बाजार से ही होती है, पर इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा।

उस स्थिति में हमें लघु उद्योग क्षेत्र से खरीदे जाने वाले उत्पादों के लिए जारी आरक्षण नीति तथा कीमत सहायता तरीकों को भी त्यागना होगा।

(द) व्यापार संबंधी विनियोग उपाय

कतिपय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को प्रोत्साहित करने के हेतु शर्त लगाने के लिये सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों को व्यापार संबंधी विनियोग उपाय माना जाता है।

यह अनुबंध गैट (GATT) के सर्वाधिक अनुग्रहित राष्ट्र (MFN) तथा राष्ट्रीय व्यवहार (NT) के नियमों से संगत उपायों को प्रतिबंधित करता है। जब

विदेशी कम्पनियां स्वदेशी शर्तों से मुक्त होंगी तो कतिपय संभागों के स्वदेशी सोर्सिंग के लिये कुछ अभिप्रेरणा मिलेगी। इससे लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायक सामग्री/उपकरण तथा उप अनुबंध व्यवसाय को धक्का पहुंच सकता है।

(घ) व्यापार संबंधी बौद्धिक परिसम्पदा अधिकार

यह अनुबंध पेटेंट, कापीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक इत्यादि बौद्धिक परिसम्पदा अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के समरूप बनाने के लिये भारतीय पेटेंट अधिनियम में संशोधन भी कर दिया गया है जो 2005 से लागू है।

इसके पीछे उद्देश्य यह था कि उत्पाद पेटेंटों को पहचाना जाये। फार्मेस्यूटिकल्स, कैमिकल, खाद्य में प्रोसेस पेटेंटों को उत्पाद पेटेंटों में बदलने से इस क्षेत्र के क्रियाशील सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर तकनीकी का एक स्रोत “रिवर्स इंजिनियरिंग” बौद्धिक परिसम्पदा अधिकार का कड़ाई से पालन करने पर वैध नहीं पाया जायेगा।

व्यापार एवं सेवाओं पर सामान्य अनुबंध

सभी प्रकार की सेवाओं (12 क्षेत्र शामिल हैं) को व्यापार एवं सेवाओं के अन्तर्गत लाया गया है। यह राष्ट्रीय व्यवहार तथा सर्वाधिक अनुग्रहित राष्ट्रीय शर्त पर आधारित है।

यह घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता के मध्य किसी भी प्रकार का अन्तर न होने को सुनिश्चित करता है ताकि घरेलू तथा राष्ट्रीय आपूर्ति के मध्य किसी भी प्रकार का कोई अन्तर न हो तथा सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जाये।

चूंकि भारत में सेवा क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिये हमें साफ्टवेयर, डेटा प्रोसेसिंग, सैटेलाइट मैपिंग, प्रिंटिंग, सघन शैक्षिक सेवाओं जिनमें मानकीकरण सहित तकनीकी तथा गुणवत्ता आवश्यक सेवाएं एवं देखरेख सेवाएं सम्मिलित हैं, आदि के निर्यात में बड़ी छलांग लगाने का अनुभव होगा।

लघु एवं मध्य उद्योगों के त्वरित विकास का एजेंडा

विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत हुये उप अनुबंधों के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योग क्षेत्र को पुनर्जीवित करने हेतु सहायता प्रदान करने तथा विस्तार सेवाएं देने हेतु और साथ में बदलते हुये आर्थिक परिदृश्य के अन्तर्गत कम्पायमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का त्वरित विकास करने के उद्देश्य हमें कुछ पहल करनी होगी। इसमें तीन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-

1) संस्थागत सहायता

भारत में सूक्ष्म, लघु उद्योग क्षेत्र के विकास में सरकारी एजेंसियां, विकासगत वित्तीय संस्थाएं, केन्द्र एवं राज्य स्तर पर एक सुविचारित नेटवर्क के माध्यम से प्रमुख भूमिका अदा करती रही हैं।

जहां एक ओर नाबार्ड एवं सिडबी जैसी वित्तीय संस्थाएं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बैंकों के माध्यम से ऋण सुलभ कराकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इन उद्योगों को सहायता प्रदान करती हैं ह, वहीं एनएसआईसी, केवीआईसी, एनसीडीसी, डीआईसी जैसी दूसरी अन्य संस्थाओं की भूमिका भी कुछ कम नहीं है।

ये संस्थाएं लघु उद्योगों तथा अन्य सहायक औद्योगिक इकाइयों को संवर्धनात्मक विस्तार सेवाएं प्रदान करती हैं। इन सेवाओं में प्रोटाटाइप डेवलेपमेंट, कीमत पर खरीद तथा उपकरणों की लिजिंग, विभिन्न एजेंसियों से लघु उद्योगों के लिये आर्डर सुलभ बनाना, कच्चे माल की आपूर्ति तथा उनके उत्पादों का विपणन शामिल हैं।

2) सरकारी एजेंसियों की भूमिका

जहां ये एजेंसियां एक एमएसएमई को विविधरूपी सहायता प्रदान करने का प्रयास करती रही है, वहीं भूमण्डलीकरण के उदय से इनके सामने नई चुनौतियां उभर कर आ गई हैं। इसके साथ ही इन उद्योगों से आज के व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य की निम्न अर्थों में कतिपय उपेक्षाएं भी की गई हैं-

- (अ) बाजार सूचना
- (ब) प्रौद्योगिकीय श्रेष्ठता
- (स) ब्रांडिंग एवं लेबलिंग
- (द) भविष्यगत अनुमान

इन असवरों तथा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुये, इन एजेंसियों की भूमिका अधिकाधिक सार्थक हो जायेगी। अतः इन्हें अपनी नीतियों, कार्य पद्धतियों में समय के साथ बदलाओ करने चाहिये तथा उत्पादकों एवं आपूर्तिकर्ताओं से ग्राहकों की जो आवश्यकताएं तथा अधिमान हैं, उन्हें बदलती आवश्यकताओं के अनुसार सम्मिलित करना चाहिये।

3) सरकार का नीति प्रारूप

लघु एवं अति लघु इकाइयों की आवश्यकताओं के वित्त पोषण हेतु, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संस्थाओं को मार्गदर्शक निर्देशों द्वारा ऐसा नीति प्रारूप प्रदान किया जाना चाहिये जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को न केवल समतल खेल मैदान प्रदान करे, अपितु विकसित होने तथा वैश्विक बनने की अभिप्रेरणा भी प्रदान करे।

जैसाकि विश्व व्यापार संगठन अनुबंध से स्पष्ट है कि लघु एवं मध्यम उद्योग को सम्बल प्रदान करने के कतिपय प्रावधानों को अच्छी तरह पहचाना गया है तथा उन्हें अनुमति प्रदान की गई है। वहीं हमें यह भी महसूस करना चाहिये कि अब समय आ गया है जब इन उद्योगों को समेकित सहायता संयन्त्र और ऐसे अभिप्रेरणा डिजायन प्रदान किये जायें जिससे लघु राष्ट्रीय उद्योगों के उत्पादों का विदेशी बाजारों में संवर्धन हो सके।

सरकार की भूमिका जो अब सुविधा प्रदायक की जगह आसान रूप से व्यवसाय करने के लिये सुलभकर्ता के रूप में बदल गयी है, को इस परिप्रेक्ष्य में भली-भाँति पहचाना जाना चाहिये।

जेड रेटिंग प्रमाण योजना के अन्तर्गत एमएसएमई को आर्थिक सहायता

जेड-जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट-

माननीय प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' के मुहिम का हिस्सा बनकर जेड रेटिंग प्रमाण योजना ने भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए एक नये युग का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है भारत को दुनिया का विनिर्माण हब बनाना।

जेड एमएसएमई के लिए एक अद्वितीय, परिपूर्ण रेटिंग सिस्टम है जो प्रोडक्शन, डिजाइन, गुणवत्ता सुरक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण जैसे 50 पारिभाषिक मानकों पर इन उद्योगों का मूल्यांकन करके इन्हें रेटिंग प्रदान करेगा।

जेड रेटिंग सिस्टम की आत्मा तो भारतीय है, लेकिन इसका प्रारूप अंतरराष्ट्रीय है। क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया, इसकी नेशनल मानिट्रिंग यूनिट के रूप में, जेड ईकोसिस्टम के तहत न सिर्फ एमएसएमई की रेटिंग (स्कोर) करेगा, बल्कि अनुभवी और योग्य टेक्नीशियंस एवं प्रोफेशनल्स की देखरेख में विकास के लिए उन्हें परखेगा और दिशानिर्देश देगा।

जहां जेड सर्टिफिकेशन सिस्टम इन एमएसएमई की कार्यविधि को सुनियोजित करके विनिर्माण की लागत एवं अस्वीकृति को घटाने में सहायक होगा, वहीं गुणवत्ता और लाभ को बढ़ाने में कारगर भी होगा। एमएसएमई मंत्रालय ने जेड सर्टिफिकेशन स्कीम के अन्तर्गत एमएसएमई के लिए आर्थिक सहायता योजना को अधिसूचित किया है, ताकि अधिकाधिक एमएसएमई इस परियोजना का लाभ उठा सकें।

उपसंहार

एमएसएमई क्षेत्र पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव कुछ सीमा तक संकेतात्मक, बहुत कुछ दृष्टांतदर्शक व अनन्त भारत के इन उद्योगों के लिए प्रतिबन्धात्मक हैं। अतः हमें बहुत ही सोच-समझकर इन प्रावधानों द्वारा प्रदत्त लाभों को भुनाना चाहिए।

यह स्वीकार करना होगा कि विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का एमएसएमई पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सबकी राय समान नहीं है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन का एमएसएमई जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह मानते हुए, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए संस्थाओं एवं सरकारों को सचेत रहना होगा। साथ ही, बदलते समय की जमीनी वास्तविकताओं को देखते हुये, सरकार के साथ-साथ, स्वयं एमएसएमई को भी अपने उत्थान के लिए तत्पर रहना होगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम एक दीर्घावधि से संरक्षण के वातावरण का लाभ उठा रहे थे। विश्व व्यापार संगठन के कानून-कायदे लागू होने के बाद इन्हें खुले और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के असंरक्षित माहौल की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये लघु इकाइयां असंगठित ढंग से दूरस्थ इलाकों में कार्यरत हैं और लाभप्रदता के मानदण्ड के अनुरूप पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहीं। इनकी मशीनरी भी पुरानी, परम्परागत तथा वर्तमान समय के संदर्भ में अप्रासंगिक है। अतः खुले विश्व बाजार में बेहतर क्षमता वाले उपक्रमों की प्रतिस्पर्धा में इनका भविष्य चुनौतीपूर्ण अवश्य है। हाँ, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप, स्टैंड-अप तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के चलते हम कुछ राहत की सांस अवश्य ले सकते हैं।

भारतीय बैंकों में अनुपालन संस्कृति

- कुलदीप सिंह भाटी

वरिष्ठ सहायक, भारतीय स्टेट बैंक
खाण्डा फलसा, जोधपुर

“बैंकों के लिए अच्छी अनुपालन संस्कृति का प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है। हम अनुपालन संस्कृति को शामिल करने के लिए लागू प्रक्रियाओं की सराहना करते हैं। एक अच्छी अनुपालन संस्कृति कई मायनों में बैंकों को लाभान्वित कर सकती है। इससे संगठनात्मक और व्यक्तिगत जोखिम में कमी, कर्मचारियों के मध्य विश्वास की बढ़ोतरी व पारदर्शिता में सुधार आता है जो नियामकों के साथ बेहतर संबंध बनाने के साथ-साथ बेहतर निर्णय लेने में भी सक्षम बनाता है।”

आरबीआई के उप-गवर्नर श्री एम. के. जैन

(अगस्त 2019 में फिक्की तथा आईबीए द्वारा आयोजित सम्मेलन FIBAC 2019 में दिए भाषण से)

भारत की अर्थव्यवस्था जिस तीव्र गति से परिवर्तित हो रही है, उसी तीव्र गति के साथ सामंजस्य रखते हुए भारत का बैंकिंग परिदृश्य भी तेजी से बदल रहा है। सन् 1991 और उसके बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से नई प्रक्रियाओं, नवीन और जटिल उत्पादों को बल मिला। इससे बदलाव की बयार ने अपनी गति को तीव्र कर दिया। कंप्यूटरीकरण से शुरू हुआ प्रौद्योगिकी विकास अब तकनीकी विकास के कारण कुलांचे भरने लगा। इसी के प्रभाव से अंतःशहर नेटवर्क से अंतःराज्य और सम्पूर्ण देश में फैले ऑनलाइन बैंकिंग नेटवर्क (सीबीएस) ने आर्थिक प्रदेश की दूरियों को मिटा दिया।

जैसा कि अल्फ्रेड व्हाइटहेड का कथन है— “परिवर्तन के बीच व्यवस्था और व्यवस्था के बीच परिवर्तन को बनाए रखना ही प्रगति की कला है।” इस अनुरूप जिस परिदृश्य से बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति हुई, उसी के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र का कामकाज और परिचालन का तौर-तरीका भी बदलने लगा। आर्थिक व्यवस्था के साथ तकनीकी और प्रौद्योगिकी के गठबंधन से बैंकिंग में क्रांतिकारी बदलाव आये।

वित्तीय प्रौद्योगिकी से बैंकिंग संरचना में आने वाले आमूलचूल बदलावों ने बैंकिंग इकाईयों और उनके नियामक निकायों के लिए कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण चुनौती है— बैंकों में अनुपालन संस्कृति।

अनुपालन संस्कृति से अभिप्राय

‘अनुपालन’ शब्द अंग्रेजी के Compliance का हिन्दी रूपान्तरण है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार विवेचित किया जाए तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार ‘Compliance’ यानी ‘अनुपालन’ का अर्थ है— ‘प्राधिकरण में लोगों द्वारा बनाए गए नियमों और अनुरोधों का पालन करने का अभ्यास’ (the practice of obeying rules or requests made by people in authority)। अन्य रूप से अनुपालन का शाब्दिक विखंडन किया जाए तो यह अनु + पालन से बना है। यहाँ ‘अनु’ शब्द का अर्थ ‘पीछे-पीछे’ तथा ‘पालन’ का अर्थ ‘पालना/रक्षण’ से लिया जाए तो अर्थ निकलता है— “किसी के पीछे-पीछे चलते हुए पालन करना।” अतः बैंकिंग क्षेत्र में अनुपालन संस्कृति का अर्थ है— ‘नियामक निकायों द्वारा प्रदत्त सुझावों/

कार्यदेशों/ नियमों/ विनियमों पर चलकर उनकी पालना और रक्षण करना।

वहीं 'संस्कृति' शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Culture है, जो लैटिन भाषा के 'कल्ट' या 'कल्टस' से बना है, इसका अर्थ है- जोतना, विकसित या परिष्कृत करना। यानी 'संस्कृति' का अर्थ हुआ- 'किसी चीज को अपने अंदर विकसित करना'। इस प्रकार 'अनुपालन संस्कृति' का अर्थ होता है- 'किसी के नियमों के रक्षण और पालन का गुण अपने भीतर विकसित करना'। आरबीआई के उप-गवर्नर श्री एम. के. जैन ने अनुपालन संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है- "विभिन्न कानूनों, नियमों और अनेक आचार संहिताओं जिनमें कुछ स्वैच्छिक भी होती हैं, का पालन करना ही अनुपालन है। यद्यपि इनमें से अधिकांश के मूल में बाहरी अपेक्षाएँ होती हैं, तथापि संगठन के लिए अपने आंतरिक नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना और नैतिक प्रथाओं के अनुरूप कारोबार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक सशक्त अनुपालन संस्कृति वह होती है जिसमें समुचित आचार संहिताओं का पालन सुनिश्चित होता हो, हितों के टकराव का प्रबंधन किया जा सके और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार होता हो।"

इस प्रकार श्री जैन के शब्दों में अनुपालन के दायरे में केवल वह नहीं आता जो कानूनी रूप से बाध्यकारी हो, अपितु इसमें कारोबारी निष्ठा और नैतिक आचरण भी शामिल हैं।

अनुपालन संस्कृति की आवश्यकता क्यों?

भारत का बैंकिंग क्षेत्र भारतीय जनमानस के विश्वास पर आधारित एक ऐसा व्यवस्थित व्यवसायिक सेवाप्रदायी क्षेत्र है, जिसको तुलन-पत्र (Balance-Sheet) की लाभप्रदता के लिए कभी भी अपने नैतिक आदर्शों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। आज भी भारत की जनता आर्थिक मामलों में

कहीं-कहीं तो अपने परिवारजनों से ज्यादा भरोसा बैंकिंग इकाइयों में प्रदर्शित करती है। अतः ऐसी संस्थाएँ जिनमें लोगों का इतना दृढ़ विश्वास हो, वहाँ ऐसी वित्तीय इकाइयों (बैंक) के साथ-साथ उनके नियामक निकायों (आरबीआई, आईआरडीए, सेबी और सरकार) का दायित्व भी बनता है कि इस विश्वास को बहाल रखने तथा इसे और मजबूत करने के लिए स्व-संज्ञान लेते हुए अपनी विश्वसनीयता और नैतिकता को प्रदर्शित करें।

वैश्विक आर्थिक संकट (Global Financial Crisis) के समय भी भारत की जनता का भारत के बैंकिंग क्षेत्र में भरोसा और यहाँ के लोगों की बचत की प्रवृत्तियों ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र की अनुपालन संस्कृति के मूल्यांकन और निगरानी को अपरिहार्य बना दिया। इसी प्रकार, ग्राहकों के साथ-साथ निवेशकों और विनियामकों का विश्वास जीतने तथा खराब आचरण से होने वाली प्रतिष्ठा-हानि से बचने के लिए बैंकों में अनुपालन संस्कृति का होना आवश्यक है। अप्रत्यक्षतः ग्राहक संतुष्टि पूंजीगत प्रतिलाभ के रूप में भी लाभप्रद होती है।

अनुपालन संस्कृति के उद्देश्य

भारत की बैंकिंग प्रणाली में अनुपालन संस्कृति की आवश्यकता के अनुरूप अनुपालन संस्कृति की स्थापना के कुछ उद्देश्य भी हैं। ये उद्देश्य देशकाल के अनुसार ग्राहक हितों तक केन्द्रित न होकर, संगठन और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास के अनुकूल विकेंद्रित होते रहे। फलतः इसके उद्देश्यों में भी तदनु रूप परिवर्तन होते रहे। अनुपालन संस्कृति के कुछ मुख्य उद्देश्यों को हम बिन्दुवार निम्न प्रकार से बता सकते हैं -

- अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप अनुपालन कार्यों से संबन्धित मानकों और प्रक्रियाओं को शुरू करना।
- प्रशासन, आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में अनुपालन प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार करना।

- अनुपालन जोखिम कम करने तथा इस जोखिम से बचने के लिए उठाए जाने वाले निवारक उपायों के लिए वित्तीय इकाइयों और घटकों को जागरूक करना।
- बैंकिंग गतिविधियों के लिए नियामक निकायों द्वारा लागू नियम, विनियम, मानक और आचार संहिता के अनुपालन की विफलता पर होने वाली भौतिक तथा मौद्रिक (वित्तीय) हानि तथा प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाना।
- अनुपालन जोखिम को कम करने के लिए सुदृढ़, जवाबदेह तथा व्यवस्थित निगरानी तंत्र की स्थापना करना।
- बैंक-व्यापी अनुपालन कार्यों को नीतिगत रूप से तैयार करना ताकि बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन तथा निदेशक मण्डल को कानूनी तथा प्रतिष्ठा जोखिमों को पहचानने में सहायता हो।
- संगठन के भीतर एक स्वस्थ अनुपालन संस्कृति शुरू करना ताकि अनुपालन कार्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन हो सके।

अच्छी अनुपालन संस्कृति के लाभ

एक अच्छी अनुपालन संस्कृति बैंकों के लिए कई प्रकार से लाभदायक सिद्ध होती है। जैसे –

- संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम घटाने में।
- प्रतिष्ठा जोखिम कम करने में।
- नौकरी करते समय कर्मचारियों में झिझक कम करने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में।
- नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने में और उन्हें संगठन में बनाए रखने में।
- कर्मचारियों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में।
- पारदर्शिता बढ़ाने में, जिससे बेहतर निर्णयन क्षमता आ सके।

-विनियामकों तथा हितधारकों के साथ संबंध बेहतर बनाने में।

-निवेशकों के बीच हैसियत बढ़ाने में।

खराब अनुपालन संस्कृति के दुष्परिणाम

खराब अनुपालन संस्कृति से होने वाले दुष्परिणामों को बैंकिंग तथा आर्थिक परिभाषा में जिस एक शब्द से परिभाषित किया जा सकता है, वो है—“अनुपालन जोखिम”। जब बैंक अनुपालन संस्कृति की पालना प्रक्रिया को खर्चीला मानकर इसके प्रति गैर-जिम्मेदारी भरा व्यवहार दिखाते हैं, उन्हें अनुपालन नहीं करने के एवज में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, जून, 2018 से जुलाई, 2019 के बीच 76 ऐसे मौके आए जब आरबीआई ने भारत में कार्यरत विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों पर कुल 122.9 करोड़ रुपए का मौद्रिक दंड लगाया था।

इससे पूर्व, 2007-08 में कई बैंक अपने जटिल व्युत्पन्न उत्पाद भोले-भाले ग्राहकों को गलत तरीके से बेचने के मामले में शामिल पाए गए थे। ग्राहक इन उत्पादों में शामिल जोखिमों से अनजान थे। बैंकों द्वारा व्यापार और मुनाफे की चाह में, आरबीआई के व्यापक दिशा-निर्देशों में दी गई ‘ग्राहक उपयुक्तता और उपयुक्तता पर मार्गदर्शन’ की उपेक्षा की गई थी। इसके लिए भी कई बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था। उसके बाद, आरबीआई ने 2013 में केवाईसी / एएमएल कानूनों की आवश्यक अनुपालना न करने तथा जुलाई, 2014 में मेसर्स डेक्कन क्रॉनिकल होलिंग्स लिमिटेड के साथ अपने ऋण तथा चालू खाता के संचालन में नियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए 12 बैंकों पर जुर्माना लगाया था।

अभी हाल ही में आईसीआईसीआई, यस बैंक जैसे प्रतिष्ठित निजी तथा पीएमसी और आदर्श जैसे सहकारी बैंकों में अनुपालन संस्कृति के प्रति गैर-जिम्मेदराना रवैया रखने के मामले प्रकाश में आए हैं। भारतीय बैंकों को **जार्ज संतायन** के इन शब्दों से सीख

लेनी चाहिए कि “जो इतिहास को याद नहीं रखते, उनको इतिहास को दुहराने का दंड मिलता है।”

इस प्रकार खराब अनुपालन संस्कृति के उपर्युक्त उदाहरण आत्मविश्वास और व्यावसायिक नैतिकता के मुद्दों को उठाते हैं और प्रतिष्ठा पर एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। गैर-अनुपालन की घटनाओं और दंड के परिणाम स्वरूप होने वाले प्रतिष्ठा जोखिम को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है।

नुकसान, जुर्माना, दंड और सख्त प्रतिबंध के रूप में उठाए गए कुछ कदम, निपुण परिणामों को जन्म देते हैं। किन्तु उतरोत्तर घटित हो रही ऐसी घटनाएँ यह भी संकेत करती हैं कि विनियमन का क्षेत्र जिस प्रकार से विकसित हो रहा है, उसमें अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जुर्माने और दंड का भय पर्याप्त नहीं है। इसके लिए वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में नियंत्रण के अंतर्निहित उपाय मौजूद हों, अनुपालन को दैनिक क्रियाकलाप का हिस्सा बनाया जाए, निष्ठा, विश्वास और कानून के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए। साथ ही, अनुपालन संस्कृति को कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाया जाए।

भारतीय बैंकों में अनुपालन संस्कृति

भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए नब्बे का दशक एक संक्रमण काल था। यह भारत की बैंकिंग व्यवस्था में परंपरागत और आधुनिक परिचालन प्रक्रियाओं का मिश्रण साबित हुआ। ऐसी स्थितियों में बैंकिंग में जोखिम और धोखाधड़ी पहले से ज्यादा बढ़ गई तथा निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्द्धा के कारण कदाचार और दुर्भावना की आशंका घर करने लगी। आरबीआई ने इसी संदर्भ में विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली और ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए एक सजग नियामक निकाय के रूप में तत्कालीन उप-गवर्नर श्री ए. घोष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने जून, 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

धोखाधड़ी और कुप्रथाओं पर गठित इसी घोष समिति की सिफारिश के अनुरूप आरबीआई ने

सर्वप्रथम अगस्त, 1992 में बैंकों में एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने की परंपरा प्रारम्भ की। अनुपालन संबंधी इस आधिकारिक प्रक्रिया से पूर्व बैंकों द्वारा अनुपालन प्रक्रियाओं और संबंधित संगठनात्मक संरचनाओं को आरबीआई के सामान्य दिशानिर्देशों और स्वयं के आंतरिक प्रशासन संबंधी परिपत्रों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता था।

सन् 1995 में जब लेखापरीक्षा और निरीक्षण के प्रभारी महाप्रबंधक को अनुपालन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई तो अनुपालन अधिकारियों की भूमिका और तेजी से बढ़ गई। अब आरबीआई द्वारा प्रभारी अनुपालन अधिकारी को अनुपालन संबंधी आवधिक रिपोर्ट और अनुपालन प्रमाण सीधे मुख्य प्रबंध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई। किन्तु शनैः शनैः यह महसूस होने लगा कि आवधिक वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बावजूद भी इनमें कई कमियाँ थीं।

अनुपालन कार्य में बढ़ती जटिलताएँ, उच्च आर्थिक लागत, प्रबंधन की विशेष रुचि का अभाव तथा संभावित प्रतिष्ठा जोखिम से अपरिचय के कारण अभी भी प्रस्तुत वित्तीय निरीक्षण विवरणियाँ अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पा रही थीं। अतः अनुपालन के दायरे को और बढ़ाने तथा इसे अलग से विस्तृत रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता महसूस होने लगी।

इसके बाद बैंकिंग पर्यवेक्षण पर वासेल समिति द्वारा अप्रैल, 2005 में बैंकों के अनुपालन जोखिम और अनुपालन कार्यप्रणाली पर नीति दस्तावेज जारी किया गया। इसी के आधार पर आरबीआई ने 2007 में अनुपालन कार्यो और अनुपालन नीति पर मसौदा बनाकर दिशानिर्देशों को परिचालित किया और बैंकों को अपने अनुपालन कार्यो के लिए एक अलग विभाग बनाने की सलाह दी।

इन दिशानिर्देशों ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था में अनुपालन को एक ठोस आधार प्रदान किया। आरबीआई के इन निर्देशों से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बैंकों को स्वयं के अनुपालन जोखिम को प्रबंधित करने के लिए एक व्यवस्था अपनाने की प्रेरणा मिली।

सन् 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (Global Financial Crisis) के बाद, खासकर व्यवहार क्षेत्रों जैसे अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन शोधन निवारण (एएमएल) और ग्राहकों के अलग-अलग वर्ग के लिए तैयार किए जाने वाले बैंकिंग उत्पादों की उपयुक्तता में अनुपालन पर जोर काफी बढ़ गया।

वर्तमान में हमारे लिए यह हर्ष का विषय है कि भारत में सभी बैंकों के पास अब उनके आकार और व्यवसाय के आधार पर समर्पित अनुपालन कर्मियों से युक्त एक अनुपालन इकाई या एक पूर्ण-अनुपालन विभाग है। कई बैंकों में अनुपालन इकाई / विभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग और बोर्ड / समिति को प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग लाइनों के साथ बातचीत के लिए सहयोग तंत्र के साथ-साथ, एक अलग इकाई भी हैं। अतः वर्तमान में अनुपालन विभाग द्वारा सक्रिय कार्रवाई करने और अपने संबंधित संगठनों के भीतर एक सम्पन्न अनुपालन संस्कृति को पोषित करते रहने की आवश्यकता है।

भारतीय बैंकिंग में अनुपालन संस्कृति की संस्थापना के बावजूद अधोलिखित कुछ उपाय अपनाए जाने चाहिए ताकि अनुपालन संस्कृति नियामक निकायों द्वारा थोपी गई मजबूरी न बनकर, वित्तीय संगठन के लिए मजबूती का आधार बन सके-

- सभी बैंकों को अपने कारोबारी मॉडल, क्षमता, जटिलता के अनुसार अपनी अनुपालन कार्यप्रणाली की संरचना स्वयं तैयार करनी चाहिए ताकि उसके निष्पादन में प्रणालीगत तथा परिचालनात्मक अवरोध न आए।
- अनुपालन विभाग की बैंक के उच्च प्रबंधन तक सुगम पहुँच होनी चाहिए।
- अनुपालन निकाय समुचित रूप से अधिकार सम्पन्न, उच्चस्तरीय, स्वतंत्र, साधन सम्पन्न होना चाहिए। निदेशक मण्डल और बोर्ड को एक गुणवत्तायुक्त गारण्टी और सुधार कार्यक्रम तैयार करते हुए उसे निरंतर

चलाना चाहिए जिसमें अनुपालन क्रियाकलाप के सभी पहलू शामिल हों।

- प्रौद्योगिकी संचालित बैंकिंग के युग में अब साइबर सुरक्षा से संबन्धित अनुपालन जोखिम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इनसे सम्बन्धित जोखिम को प्राथमिकता से निपटाना चाहिए।
- अनुपालन को संगठन का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। अनुपालन, बैंकों के शीर्ष प्रबंधन तंत्र से नीचे तक संगठन के प्रत्येक कार्मिक की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए।
- अनुपालन संस्कृति के सुदृढीकरण तथा समुचित विकास के लिए वैचारिक आदान-प्रदान की स्वतन्त्रता, स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ फीडबैक व्यवस्था होनी चाहिए। व्हिसल ब्लोअर व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- अनुपालन को संगठन द्वारा एक बोज़ न समझकर, दूरदर्शी और अग्रसोची दृष्टिकोण के साथ अपनाया जाना चाहिए। अनुपालन संस्कृति 'हताहत' करने का नहीं वरन् 'हिताहित' के विचार का विषय होना चाहिए।

उपसंहार

निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि भारत के बैंकों में अनुपालन संस्कृति ने विगत कई दशकों से अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा रखी है किन्तु अभी भी इसमें कई सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अनुपालन संस्कृति के कारगर परिणाम तब और अधिक स्पष्ट और प्रभावी रूप से परिलक्षित होंगे, जब नियामक निकाय से ज्यादा स्वयं वाणिज्यिक बैंक इसके प्रति ज्यादा गंभीर होंगे।

जब पूरी दुनिया में अनुपालन की भूमिका पर ध्यान दिया जा रहा है, तो भारतीय बैंकों को भी यह सोचना होगा कि एक स्वस्थ अनुपालन संस्कृति और अनुशासन अपनाने वाले बैंक ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुँच और पहचान बनाते हुए भावी वित्तीय आघातों को सहन कर सकेंगे और अपने

ग्राहकों का विश्वास बनाए रख सकेंगे। बैंकिंग में उभरते नए रुझानों, वैश्विक विनियामकीय परिदृश्य, प्रौद्योगिकी समर्थित नवोन्मेषों, नई चुनौतियों, नए प्रतिमानों और समावेशी बैंकिंग के लिए अनुपालन संस्कृति अपरिहार्य है।

कुल मिलाकर, जब तक इस संदर्भ में स्वतः स्फूर्त भावना वाणिज्यिक बैंकों में नहीं आएगी, तब

तक किसी प्रकार के नियम और विनियम बनाना और लागू करना एक निरर्थक कवायद मात्र ही सिद्ध होगा। अतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग के उच्चतम शिखर को धारण करने और राष्ट्र स्तर पर अपनी जड़ों को और मजबूती देने के लिए तत्पर आज के बैंकों को और अधिक गंभीरता और निष्ठा से अपनी अनुपालन संस्कृति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।

स्थायी स्तंभ

रेग्युलेटर की नज़र से

- ब्रिज राज

महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (संशोधित)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2020 को सभी वाणिज्यिक बैंकों और सभी सहकारी बैंकों को 'बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा' के विषय पर दिशानिर्देश जारी किया। इसके अंतर्गत बैंकों को कहा गया है कि कोविड-19 के कारण बड़ी अनिश्चितता के माहौल में बैंकों द्वारा पूंजी का संरक्षण किया जाना महत्वपूर्ण है ताकि अर्थव्यवस्था का समर्थन करने की उनकी क्षमता को बरकरार रखा जा सके और घाटे को अवशोषित किया जा सके।

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी बैंक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से अगले आदेश तक लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। बैंकों की 30 सितंबर 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के वित्तीय परिणाम के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रतिबंध का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 अप्रैल 2020 को 'ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड' पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें दिनांक 01 जुलाई 2015 के 'बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपए में मूल्यांकित को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र' के पैरा 11.2 का संदर्भ लिया गया है, जिसमें बैंकों को बचत बैंक/ चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड

जारी करने की अनुमति दी गई है लेकिन नकदी क्रेडिट/ ऋण खाता खाता धारकों को नहीं दी गई है। इस संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब निर्णय लिया कि बैंकों को ओवरड्राफ्ट खाता, जो किसी विशिष्ट अंतिम-उपयोग प्रतिबंध के बिना व्यक्तिगत ऋण की प्रकृति के हैं, रखने वाले व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाए। ग्राहक को दी गई सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए कार्ड नहीं जारी किया जाएगा और यह ऋणदाता के रूप में बैंकों के सामान्य अधिकारों के अधीन होगा।

व्यक्तिगत ऋण की प्रकृति वाले ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का उपयोग, केवल देश में लेनदेन के लिए ही किया जा सकेगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण और जांच प्रक्रिया रखी जाएगी कि ऐसे कार्ड का उपयोग केवल ऑनलाइन सुविधाओं / गैर-नकद लेनदेन तक ही सीमित है। नकद लेनदेन पर यह प्रतिबंध प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के साथ प्रदान की गई ओवरड्राफ्ट सुविधा पर लागू नहीं होगा।

इस उत्पाद को आरंभ करने से पहले, बैंक उपर्युक्त ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाएंगे, जिसमें उपर्युक्त जोखिम प्रबंधन, आवधिक समीक्षा प्रक्रिया, शिकायत निवारण प्रणाली आदि शामिल होंगे और ये पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन होंगे।

यह कार्ड, डेबिट कार्ड पर लागू सभी निबंधन और शर्तों, सुरक्षा, शिकायत निवारण, ग्राहक की सूचना की गोपनीयता और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

कार्ड परिचालन पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक अनुदेशों के अधीन जारी किया जाएगा।

डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण:उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 जून 2020 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आवास वित्त कंपनियों सहित) को 'डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण:उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन' के विषय पर जारी दिशानिर्देश के अंतर्गत कहा है कि वित्तीय क्षेत्र में खुदरा व्यक्तियों, छोटे व्यापारियों और अन्य उधारकर्ताओं को झंझट रहित ऋण देने का दावा करने वाले कई डिजिटल प्लेटफॉर्म उभरे हैं।

बैंक और एनबीएफसी भी अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का प्रयोग करते देखे जाते हैं। इसके अलावा, कुछ एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक के साथ 'केवल-डिजिटल' ऋण देने वाली संस्थाओं के रूप में पंजीकृत किया गया है जबकि कुछ एनबीएफसी ऋण प्रदान करने के लिए डिजिटल और पारंपरिक दोनों चैनलों पर काम करने के लिए पंजीकृत हैं। इस प्रकार, बैंकों और एनबीएफसी को या तो सीधे अपने डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से या आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण देते देखा जाता है।

यह भी देखा गया है कि ऋण देने वाले प्लेटफार्म बैंकएंड पर बैंक/एनबीएफसी के नाम का खुलासा किए बिना स्वयं को ऋणदाता के रूप में चित्रित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहक विनियामक ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। हाल के दिनों में, ऋण प्लेटफार्मों के विरुद्ध कई शिकायतें पाई गई हैं जो मुख्य रूप से अत्यधिक ब्याज दरों, ब्याज

की गणना करने के लिए गैर-पारदर्शी तरीकों, कठोर वसूली उपायों, व्यक्तिगत डेटा के अनधिकृत उपयोग और बुरे व्यवहार से संबंधित हैं।

यद्यपि ऋण मध्यस्थता में डिजिटल वितरण एक स्वागत योग्य उपलब्धि है, लेकिन लेनदेन की पारदर्शिता न होने और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग और उचित व्यवहार संहिता आदि पर बैंकों तथा एनबीएफसी को जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

इसलिए यह दोहराया जाता है कि बैंकों और एनबीएफसी को, चाहे वे अपने डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से या आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण देते हों, को अनिवार्य रूप से उचित व्यवहार संहिता के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। उन्हें वित्तीय सेवाओं और आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर जारी विनियामकीय निर्देशों का भी सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंकों/एनबीएफसी द्वारा किसी भी गतिविधि को आउटसोर्स करने से उनके दायित्वों में कमी नहीं आती है, क्योंकि विनियामक निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी केवल उनके पास है। बैंक और एनबीएफसी जहां कहीं भी डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों को अपने एजेंट के रूप में उधारकर्ताओं को ऋण देने और/या बकाया वसूलने के लिए शामिल करते हैं, उन्हें निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा :

(क) एजेंट के रूप में लगे डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों के नाम बैंकों/एनबीएफसी की वेबसाइट पर बताए जाएंगे।

(ख) एजेंट के रूप में कार्य कर रहे डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों को यह निर्देश दिया जाए कि वे ग्राहकों से संवाद करते समय पहले ही बता दें कि वे किस बैंक/एनबीएफसी जुड़े हैं।

(ग) स्वीकृति के तुरंत बाद लेकिन ऋण करार के निष्पादन से पहले, संबंधित बैंक/एनबीएफसी के लेटर हेड पर उधारकर्ता को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।

(घ) ऋण समझौते में उद्धृत सभी संलग्नकों की एक-एक प्रति सहित ऋण समझौते की एक प्रति ऋण की स्वीकृति/वितरण के समय सभी उधारकर्ताओं को प्रस्तुत की जाएगी।

(ङ) बैंकों/एनबीएफसी द्वारा लगाए गए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफार्मों पर प्रभावी देखरेख और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

(च) शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता लाने की दिशा में पर्याप्त प्रयास किए जाएंगे।

बैंकों और एनबीएफसी (जिसमें 'केवल-डिजिटल' अथवा डिजिटल और पारंपरिक दोनों चैनलों पर ऋण देने के लिए पंजीकृत एनबीएफसी सहित) द्वारा इस संबंध में किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना- अनुशासन की आवश्यकता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 06 अगस्त 2020 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और सभी भुगतान बैंकों को 'बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना- अनुशासन की आवश्यकता' के विषय पर जारी दिशानिर्देश के अंतर्गत, 02 जुलाई 2015 का परिपत्र बैंवि. एलईजी.बीसी. 25/09.07.005/2015-16 का संदर्भ लेते हुए कहा है कि बैंकों द्वारा चालू खाता खोले जाने से संबंधित अनुदेशों की समीक्षा की गई है और संशोधित अनुदेश निम्नलिखित हैं:

i. कोई भी बैंक उन ग्राहकों के लिए चालू खाता नहीं खोलेगा, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से नकदी ऋण (सीसी) / ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में ऋण सुविधा

प्राप्त की है। सभी लेनदेन सीसी/ ओडी खाते के जरिए किए जाएंगे।

ii. जहां एक उधारकर्ता के प्रति किसी बैंक का एक्सपोजर उस उधारकर्ता के प्रति पूरी बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर के 10 प्रतिशत से कम हो, वहां सीसी/ओडी खाते में जमाओं की तो पूरी अनुमति होगी, किंतु इस सीसी/ओडी खाते में नामे केवल उधारकर्ता के उस बैंक के सीसी / ओडी खाते में जमा के लिए किया जाएगा, जिसका उधारकर्ता के प्रति एक्सपोजर, उस उधारकर्ता के प्रति पूरी बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर का 10 प्रतिशत या इससे अधिक है।

बैंक और उधारकर्ता के बीच सहमत समय-अंतराल पर इन खातों से निधि उक्त अंतरिती सीसी/ओडी खाते में विप्रेषित की जाएगी। साथ ही, ऐसे खातों के जमा-शेष का किसी भी गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए मार्जिन के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि उस उधारकर्ता के बैंकिंग प्रणाली के प्रति एक्सपोजर के 10 प्रतिशत से अधिक वाले बैंक एक से ज्यादा हैं, तो जिस बैंक को निधि विप्रेषित की जानी है, वह उधारकर्ता और बैंकों के बीच निर्धारित किया जा सकता है।

यह नोट किया जाए कि उधारकर्ता के प्रति बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर के 10 प्रतिशत से कम एक्सपोजर वाले बैंक उधारकर्ता को कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) / कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) सुविधा दे सकते हैं।

iii. जहां किसी बैंक का उधारकर्ता के प्रति बैंकिंग प्रणाली के कुल एक्सपोजर में 10 प्रतिशत या अधिक का हिस्सा है, वह पूर्व की तरह सीसी/ ओडी सुविधा दे सकता है।

iv. दिनांक 05 दिसंबर, 2018 के परिपत्र बैंवि. बीपी.बीसी.सं.12/21.04.048/2018-19 द्वारा

जारी बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए उधार व्यवस्था पर दिशानिर्देश के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ताओं के मामले में, अब से कंसोर्शियम ऋण सहित सभी मामलों में कार्यशील पूंजी सुविधा का उधार घटक और नकदी ऋण घटक में विभाजन प्रत्येक बैंक के स्तर पर बनाए रखना होगा।

v. जिन ग्राहकों ने किसी बैंक से सीसी/ ओडी सुविधा नहीं ली है, उनके मामले में बैंक निम्नलिखित तरीके से चालू खाता खोल सकते हैं:

- a. जिन उधारकर्ताओं के प्रति बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर 50 करोड़ रुपए या अधिक है, उनके मामले में बैंकों से एस्करो व्यवस्था करने की अपेक्षा होगी। तदनुसार, ऐसे उधारकर्ताओं के चालू खाते केवल एस्करो का प्रबंध करने वाले बैंक द्वारा ही खोले/ बनाए रखे जाएंगे। तथापि उधारदाता बैंक द्वारा 'वसूली/संग्रह खाता' खोले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जो इस शर्त के अधीन होगा कि बैंक और उधारकर्ता के बीच तय समय-अंतराल पर इन खातों से निधि उक्त एस्करो खाते में विप्रेषित की जाएगी।

साथ ही, ऐसे खातों में जमा-शेष का उपयोग किसी गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए मार्जिन के रूप में नहीं किया जाएगा। हालांकि 'संग्रह खातों' में राशि या जमाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इन खातों में नामे केवल राशि को उक्त एस्करो खाते में विप्रेषित करने तक सीमित रहेंगे। जिन बैंकों से इन उधारकर्ताओं को कोई ऋण सुविधा नहीं दी है, वे बैंक इन उधारकर्ताओं के लिए कोई चालू खाता नहीं खोलेंगे।

- b. जिन उधारकर्ताओं के प्रति बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर 05 करोड़ रुपए या उससे अधिक लेकिन 50 करोड़ रुपए से कम है, उनके मामले में उधारदाता बैंकों द्वारा चालू खाता खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, उधार न देने वाले बैंक केवल उपर्युक्त (v) (क) में यथा-पारिभाषित वसूली / संग्रह खाते खोल सकते हैं।

- c. जिन उधारकर्ताओं के प्रति बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर 05 करोड़ रुपए से कम है, उनके मामले में बैंक उनसे इस आशय का वचनपत्र लेकर चालू खाते खोल सकते हैं कि जब और जैसे बैंकिंग प्रणाली से उन्हें प्राप्त ऋण सुविधाएं 05 करोड़ रुपए या अधिक हो जाएंगी, ग्राहक बैंक को सूचित करेगा।

ऐसे ग्राहकों का चालू खाता, जब और जैसे बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर 05 करोड़ रुपए या अधिक और 50 करोड़ रुपए या अधिक हो जाता है, तब वह क्रमशः पैरा (v) (ख) और (v) (क) के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होगा।

- d. बैंक उन संभाव्य ग्राहकों के चालू खाते खोलने के लिए स्वतंत्र हैं जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से कोई ऋण सुविधा नहीं ली है, और यह उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार आवश्यक उचित सावधानी के अधीन होगा। बैंक इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी चालू खातों और सीसी/ ओडी की नियमित निगरानी, विशेष रूप से उधारकर्ता के प्रति बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर के संबंध में, कम से कम तिमाही आधार पर करेंगे।

बैंकों को चालू खातों के माध्यम से मीयादी ऋणों से निकासी नहीं करनी चाहिए। चूंकि मीयादी ऋण विशिष्ट उद्देश्यों के लिए होते हैं, इसलिए निधि सीधे माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को विप्रेषित की जानी चाहिए।

यदि उधारकर्ता के पास सीसी/ ओडी खाता है तो उधारकर्ता द्वारा दैनंदिन परिचालन के लिए किया गया व्यय सीसी/ ओडी खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए, अन्यथा चालू खाते के माध्यम से। मौजूदा चालू खातों और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, बैंक इस परिपत्र की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 03 सितंबर, 2020 को सभी बैंकों को ‘बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स

बैंक लिमिटेड” की समाप्ति के विषय पर जारी दिशानिर्देश द्वारा सूचित किया कि 28 जुलाई, 2020 की अधिसूचना वि. एनबीडी. सं. 144/16.03.007/2020-21 जो 22 अगस्त - 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” 28 जुलाई, 2020 से बैंकिंग कंपनी नहीं रही।

घूमता आईना

- के. सी.मालपानी

सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, निरीक्षण विभाग,
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण, 2020 के घोषित परिणामों में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। इसके बाद गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के नवी मुंबई को दूसरा और तीसरा स्थान मिला। गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है।

100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को सबसे साफ-सुथरा राज्य घोषित किया गया। वहीं 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड को सबसे साफ-सुथरे राज्य का दर्जा दिया गया।

उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार 2016 में किया गया था। इसमें 73 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया था। दूसरा सर्वेक्षण 2017 में आयोजित किया गया था जिसमें 434 शहर शामिल थे। तीसरा सर्वेक्षण जो 2018 में आयोजित किया गया था इसमें 4,203 शहर शामिल थे और 2019 में आयोजित चौथे सर्वेक्षण में 4,237 शहर शामिल थे।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इस कड़ी का पांचवाँ संस्करण है, जिसमें कुल 4,242 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें 62 छावनी बोर्ड और 97 गंगा नदी के किनारे बसे शहर भी शामिल हैं।

मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) की शुरुआत

हाल में, मछली पालन के काम में लगे लाखों लोगों को एक बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मत्स्य क्षेत्र पर केन्द्रित और सतत विकास योजना है जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पांच साल की अवधि के दौरान सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है और इस पर अनुमानित रूप से 20,050 करोड़ रुपये का निवेश होना है।

इसमें से लगभग 12,340 करोड़ रुपये का निवेश समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में लाभार्थी केन्द्रित गतिविधियों पर तथा 7,710 करोड़ रुपये का निवेश फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रस्तावित है।

इस योजना के उद्देश्यों में, 2024-25 तक मछली उत्पादन अतिरिक्त 70 लाख टन बढ़ाना, 2024-25 तक मछली निर्यात से आय 1,00,000 करोड़ रुपये तक करना, मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना, पैदावार के बाद नुकसान 20-25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना तथा मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना शामिल हैं।

पीएमएमएसवाई को मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता प्रौद्योगिकी, उपज के बाद के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और प्रबंधन, मूल्य निर्धारण श्रृंखला के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण, मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचे और मछुआरों के कल्याण के रास्ते में आने वाली कमियों को दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके तहत फिनफिश हैचरी की स्थापना, बायोप्लॉक तालाबों

का निर्माण, आइस प्लांट्स, पिंजरो की स्थापना, मछली चारा पौधों आदि की स्थापना की होनी है।

साक्षरता दर में केरल देश में अक्वल

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में साक्षरता के मामले में केरल एक बार फिर पहले पायदान पर रहा है जबकि आंध्र प्रदेश सबसे निचले स्थान पर रहा है। इस सर्वेक्षण के अनुसार केरल में साक्षरता दर 96.2 प्रतिशत है। केरल के बाद दिल्ली 88.7 प्रतिशत के साथ दूसरे, उत्तराखंड 87.6 प्रतिशत के साथ तीसरे, हिमाचल प्रदेश 86.6 फीसदी के साथ चौथे और असम 85.9 प्रतिशत के साथ पांचवे स्थान पर है।

सबसे पिछड़े राज्यों की बात करें तो इनमें आंध्र प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम 66.4 प्रतिशत पर है। इसके बाद राजस्थान 69.7 प्रतिशत, बिहार 70.9, तेलंगाना 72.8 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 73 प्रतिशत और मध्य प्रदेश 73.7 प्रतिशत पर हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार देश की साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत है। देश के ग्रामीण इलाकों की साक्षरता दर जहां 73.5 प्रतिशत है, वहीं शहरी इलाकों में यह 87.7 प्रतिशत है। पुरुषों की साक्षरता दर 84.7 प्रतिशत जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 70.3 प्रतिशत है। सभी राज्यों में पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से अधिक है। यह रिपोर्ट जुलाई 2017 से जून 2018 के आंकड़ों पर आधारित है जो सात साल या उससे अधिक आयु के लोगों के बीच साक्षरता दर की राज्यवार जानकारी को दर्शाती है।

बच्चों के आधार कार्ड में बायोमैट्रिक अपडेशन कब और कैसे कराएं

आधार कार्ड हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा बन गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, डीबीटी का लाभ चाहिए या बैंक खाता खुलवाना हो, पैनकार्ड बनवाना हो या संपत्ति का पंजीकरण करवाना हो, कर्मावेश हर जगह अब आधार एक उपयोगी दस्तावेज हो गया है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार, नवजात बच्चे का भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल की ओर से जारी डिस्चार्ज कार्ड/पर्ची के जरिए किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाकर माता-पिता अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरी अहम बात जो हर मां-बाप या कानूनी अभिभावक को ध्यान रखनी है, वह यह है कि यदि आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाया है तो उसमें दो बार 05 साल और 15 साल की उम्र में कुछ जरूरी बदलाव कराने पड़ते हैं।

दरअसल, जिन बच्चों का आधार कार्ड 05 साल से पहले बन जाता है, उन बच्चों के बायोमैट्रिक्स यानी अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतली विकसित नहीं होते हैं। इसलिए इतने छोटे बच्चों के आधार एनरोलमेंट के समय उनके बायोमैट्रिक नहीं लिए जाते हैं। इसलिए यूआईडीएआई ने 05 साल पर इसे अपडेट कराना जरूरी किया है। ठीक उसी तरह, बच्चा जब किशोरावस्था में जाता है तो उसके बायोमैट्रिक पैरामीटर में बदलाव होते हैं। इसलिए यूआईडीएआई ने एक बार फिर 15 साल की उम्र होने पर बायोमैट्रिक जानकारियों को अपडेट कराना जरूरी किया है।

बच्चे के आधार में बायोमैट्रिक डिटेल अपडेट कराना पूरी तरह निःशुल्क है। साथ ही, दोनों बार जब भी आप डिटेल अपडेट के लिए जाएंगे, आपको किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं देने होंगे। बच्चे के आधार कार्ड में बायोमैट्रिक डिटेल का अपडेशन निकटतम आधार केंद्र पर जाकर कराया जा सकता है। निकटतम आधार केंद्र की जानकारी यूआईडीएआई की वेबसाइट <https://uidai.gov.in/> पर उपलब्ध है।

डाक विभाग की फाइव स्टार गांव योजना

हाल में, डाक विभाग द्वारा फाइव स्टार विलेज योजना की शुरुआत की गई है। इसमें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज (100% कवरेज) को सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष रूप से, इसमें दूरदराज के गांवों में जन जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच की खाई को पाटने पर ध्यान दिया जाएगा।

फाइव स्टार गांव योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं की ग्रामीण स्तर पर उपलब्धता, विपणन और प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित किया जाएगा। शाखा कार्यालय ग्रामीणों की सभी संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत (i) बचत बैंक खाते, आवर्ती जमा खाते, एनएससी/किसान विकास प्रमाण पत्र, (ii) सुकन्या समृद्धि खाते / पीपीएफ खाते, (iii) भारत डाक भुगतान बैंक खाते से जुड़े हुए वित्त पोषित डाकघर बचत खाते (iv) डाक जीवन बीमा पॉलिसी या ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी (v) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता / प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शामिल होंगी।

पांच ग्रामीण डाक सेवकों की टीम द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। इस टीम का नेतृत्व शाखा पोस्ट मास्टर करेंगे। मंडल प्रमुख, सहायक अधीक्षक और डाक निरीक्षक सभी गतिविधियों की निगरानी करेंगे। ग्रामीण डाक सेवकों की टीम सभी पात्र ग्रामीणों को कवर करते हुए सभी योजनाओं के बारे में घरघर जाकर जागरूकता-अभियान चलाएगी। शाखा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित करने के अलावा पंचायत कार्यालयों, स्कूलों, ग्राम औषधालयों, बस डिपो, बाजारों जैसे लक्षित गांवों के प्रमुख स्थानों का उपयोग करके व्यापक प्रचार किया जाएगा।

यदि कोई गाँव उपरोक्त सूची में से चार योजनाओं के लिए सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करता है, तो उसे फोर-स्टार दर्जा मिल जाएगा; यदि कोई गाँव तीन योजनाओं को पूरा करता है, तो उस गाँव को थ्री-स्टार का दर्जा दिया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर यह योजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू की जा रही है। यहां के अनुभव के आधार पर, इसे देश भर में लागू किया जाएगा।

आरटीजीएस प्रणाली अब 24 घंटे उपलब्ध रहेगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने धन अंतरण को और सुगम बनाए जाने की दृष्टि से तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली को 24x7x365 आधार पर

उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय दिसंबर 2020 से लागू होगा। अभी यह सेवा किसी भी बैंक कार्य दिवस पर सुबह 07 से शाम 06 बजे तक ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

तत्काल सकल निपटान एक ऐसी निधि अंतरण प्रणाली है जिसमें धनराशि का अंतरण 'वास्तविक समय' और 'सकल' आधार पर होता है। यह किसी बैंकिंग चैनल द्वारा मुद्रा अंतरण का सबसे तेज माध्यम है। 'वास्तविक समय' में भुगतान से तात्पर्य है कि भुगतान संव्यवहारों के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होती अर्थात लेनदेन के प्रसंस्कृत होने के साथ ही उसी समय उसका निपटान भी हो जाता है।

तत्काल सकल निपटान प्रणाली का उपयोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। अगर आपके पास इन्टरनेट की सुविधा है तो आप घर बैठे ही मोबाइल या नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी भी आरटीजीएस सुविधायुक्त बैंक में धनराशि का अंतरण ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिसे पैसे भेजने हैं, उसका बैंक खाता नम्बर, बैंक का नाम और शाखा और आईएफएससी संख्या भर कर एक बार लाभार्थी के रूप में जोड़ना होगा।

इसके अलावा, बैंक में जाकर भी आरटीजीएस द्वारा किसी भी आरटीजीएस सुविधायुक्त बैंक में धनराशि का अंतरण करवाया जा सकता है। इसके लिए लाभार्थी जिसे पैसे भेजने हैं, उसका नाम, बैंक, शाखा का नाम, आईएफएससी संख्या, खाता प्रकार और खाता संख्या, भेजे जाने वाली राशि के विवरण उपलब्ध कराने के साथ ही अपने खाते को डेबिट कर राशि भेजने के लिए अधिकृत करना होता है।

यह भी बता दें कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली को भी दिसंबर 2019 से चौबीसों घंटे के लिए उपलब्ध कराया गया है जो आधे-आधे घंटे के अंतराल में 00:30 से 00:00 बजे तक 48 बैचों में 24x7x365 आधार पर सफलता पूर्वक काम कर रही है।

पाठकों के पत्र...

'बैंकिंग चिंतन-अनुचितन' के नवीनतम अंक की डिजिटल कॉपी प्राप्त हुई। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के इस मुश्किल दौर में भी समय पर इसका प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय को मेरा साधुवाद। राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय में इस कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय पर प्रकाशन के लिए अथक परिश्रम किया और सक्रिय रहे।

'बैंकिंग चिंतन-अनुचितन' के इस अंक में भी आलेखों की मौलिकता और गुणवत्ता तथा भाषा की सरलता और सहजता है। "21वीं सदी में बैंकिंग परिदृश्य" विषय पर माननीय गवर्नर महोदय का भाषण अत्यंत जानकारीपरक है जिसमें बैंकिंग के विभिन्न आयामों को रेखांकित किया गया है। इस भाषण में विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए गवर्नर महोदय ने हम सभी को आगे की राह भी दिखाई है। डॉ. रमाकांत शर्मा जी का आलेख "कृषि और समावेशी विकास" शोधपरक है जिसमें उन्होंने आंकड़ों और विश्लेषण के साथ देश के समावेशी विकास में कृषि के महत्व एवं भारत सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला है। पत्रिका में प्रकाशित हर आलेख ज्ञान से परिपूर्ण है और समसामयिक होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

डॉ. घनश्याम शर्मा द्वारा अगस्टीन रूबिनी की पुस्तक "फिनटेक इन ए फ्लैश: फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मेड इजी" की समीक्षा सराहनीय है। उनकी पुस्तक समीक्षा से पाठक यह पुस्तक पढ़ने के लिए अवश्य प्रेरित होंगे। पत्रिका का स्थायी स्तंभ 'धूमता आईना' हमेशा की तरह बैंकिंग तथा आर्थिक जगत की अद्यतन जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ है। इतनी स्तरीय पत्रिका प्रकाशित करने के लिए मैं राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय को हार्दिक बधाई देता हूँ।

- ब्रिज राज, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'बैंकिंग चिंतन-अनुचितन' का अक्टूबर 2019-मार्च 2020 अंक ऑनलाइन देखा। कोविड-19 के दौरान भी आपके द्वारा उक्त पत्रिका का प्रकाशन किया गया जोकि आपके सक्रिय प्रयास का ही परिणाम है। हम इसके लिए आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। अपने प्रयासों का इस कोरोना महामारी में भी इसी प्रकार जारी रखें ताकि मनुष्य के कभी हार न मानने की प्रेरणा सभी को प्राप्त होती रहे। आपने यह पत्रिका स्वयं बिना किसी तकनीकी प्रिंटिंग प्रेस की सहायता के तैयार की है, यह अपने आप में सोने पे सुहागा वाली बात है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

- राजीव कुमार, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, मुंबई

'बैंकिंग चिंतन-अनुचितन' का अप्रैल-सितंबर 2019 अंक प्राप्त हुआ। संपादकीय तो पूरी पत्रिका का रोचक सार है। श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का लेख (भाषण) 'केंद्रीय बैंकों की बढ़ती हुई भूमिका' जानकारी देने वाला और रोचक है। 'अवैध जमा योजनाओं के कारोबार पर पाबंदी' बहुत उपयोगी है। अवैध जमा योजनाओं पर पूर्ण पाबंदी आवश्यक है। 'डिजिटल बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में सतर्कता' एवं 'एसएमएस, ईमेल और फिशिंग के माध्यम से धोखाधड़ी' शीर्षक वाले दोनों लेख अच्छे लगे। बैंकों को इस विषय में सतर्कता एवं बचाव की पूर्ण व्यवस्था रखनी चाहिए। स्तंभ 'रेगुलेटर की नजर से' तथा 'धूमता आईना' तो जानकारी के भंडार हैं। पत्रिका का संपादन प्रशंसनीय है।

- विष्णु वर्मा, ग्राम: ककोली, जिला: अयोध्या, उत्तर प्रदेश

'बैंकिंग चिंतन-अनुचितन' का अप्रैल-सितंबर, 2019 अंक प्राप्त हुआ। इसे मैंने पूर्ण रूप से अध्ययन किया और उसमें वर्णित लेखों से अत्यधिक ज्ञानार्जन किया। वास्तव में पत्रिका के अध्ययन से जन सामान्य को भी लाभ होता है क्योंकि पत्रिका में बैंकिंग संबंधी ज्ञान प्राप्त होते हैं। यद्यपि पत्रिका में वर्णित सभी लेख बहुत ही अच्छे थे। परंतु 'केंद्रीय बैंकों की बढ़ती हुई भूमिका', 'डिजिटल बैंकिंग : भविष्य एवं संभावना', 'बैंक-ग्राहक संबंध प्रबंधन', 'एसएमएस, ईमेल और फिशिंग के माध्यम से धोखाधड़ी' बहुत ही अच्छे थे। अतः मैं सभी लेखकों, संपादक, प्रकाशक आदि- सभी का आभार प्रकट करता हूँ और भविष्य में अगले अंक की प्रतीक्षा करता हूँ।

- योगेंद्र दत्त शर्मा, जहांगीराबाद, बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)

'बैंकिंग चिंतन-अनुचितन' का अक्टूबर 2018-मार्च 2019 अंक प्राप्त हुआ। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। पत्रिका के कवर पृष्ठ की साज-सज्जा आकर्षक है और संपादकीय भी अत्यंत प्रेरणादायक है। पत्रिका के इस अंक में 'फिनटेक के अवसर और चुनौतियां', 'वैश्विक पटल पर भारत का बढ़ता महत्व', 'विपणन व संप्रेषण नीति : व्यावहारिकता', 'धूमता आईना' इत्यादि रचनाएं काफी ज्ञानवर्धक एवं रोचक हैं। हमारे बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक श्री राजीव कुमार का लेख शामिल करने के लिए भी हम आपके हार्दिक आभारी हैं। कुशल संपादन एवं आकर्षक प्रस्तुतीकरण हेतु संपादक मंडल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ।

- शैलेश कुमार मालवीय, उप महाप्रबंधक (राजभाषा), बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, मुंबई

'बैंकिंग चिंतन-अनुचितन' का अक्टूबर 2018-मार्च 2019 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका के डिजाईन और कलर सहित उसका फील अद्भुत लगा। पत्रिका भार-मुक्त और सार से युक्त लग रही है। सभी आलेख बहुत ज्ञानवर्धक और समसामयिक हैं। "फिनटेक के अवसर और चुनौतियां" पर माननीय गवर्नर का भाषण तथा "डिजिटल बैंकिंग परिवेश में सतर्कता का महत्व" और "बैंकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य" विषयक आलेख विशेष रूप से बहुत समसामयिक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी हैं। संपादक मण्डल सहित पूरी प्रकाशन टीम को बहुत बहुत बधाई। पत्रिका में मूल हिन्दी में शोधपरक आलेखों को आकर्षित करने के लिए कोई नियमित योजना या स्कीम यदि आरंभ कर सकें तो मेरी समझ से पत्रिका को और भी रोचक बनाए रखने में मदद मिल सकती है। पत्रिका की पूरी टीम को पुनः शुभकामनाएँ।

- डॉ. घनश्याम शर्मा, प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु

लेखकों से / पाठकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है। हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाजार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा-बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण, मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

1. क. सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।

ख. लेख में किसी समसामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर, समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।

ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।

घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।

ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।

2. लेख में दिए गए तथ्य, आंकड़े अद्यतन हों एवं उनके स्रोत के बारे में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।

3. क. लेख न्यूनतम 05 पृष्ठों के हों तथा यूनिकोड में ही टंकित हों। पीडीएफ़ के साथ वर्ड फ़ाइल भी संलग्न करें।

ख. वह कागज की एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।

ग. लेख में यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों। भाषा सरल-सहज हो और व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियाँ न हों।

घ. लेख यदि संभव हो तो यूनिकोड फॉन्ट में rajbhashaco@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था की जाए।

4. इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

5. लेखक अपने पत्राचार का पता, फोटो, ई-मेल आईडी एवं टेलीफोन / मोबाइल नंबर अवश्य दें।
